



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01052025-262809
CG-DL-E-01052025-262809

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 236]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 30, 2025/वैशाख 10, 1947

No. 236]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 30, 2025/VAISAKHA 10, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2025

सं. 41/2025

सा.का.नि. 279(अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (तेरहवां संशोधन) नियम, 2025 है।
- (2) ये 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगे।

प्रारूप	आकृति-3	भारतीय आय-कर विवरणी (ऐसे व्यष्टियों और हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों के लिए, जिनकी कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ से आय है) (कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए) (कृपया अनुदेश देखिए)	निर्धारण वर्ष						
			2	0	2	5	-	2	6

भाग क- साधारण								साधारण																		
व्यक्तिगत सूचना	(क1) पहला नाम								(क2) मध्य नाम				(क3) अन्तिम नाम				(क4) स्थायी लेखा सं0									
	(क5) फ्लैट/दरवाजा/ब्लाक सं.								(क6) परिसर/भवन/ग्राम का नाम								(क14) प्रास्थिति (चयनित करें)									
																	☒									
																	☐ व्यक्ति ☐ हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब									
	(क7) सड़क/गली/डाक घर								(क8) जन्म तारीख/विरचना की तारीख (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई)								(क15) व्यवसाय प्रारंभ करने की तारीख (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई)									
(क9) क्षेत्र/अवस्थान								(क16) आधार संख्यांक (12 अंक)																		
(क10) नगर/शहर/जिला								(क11) राज्य								(क12) पिन कोड/जिप कोड										
								(क13) देश																		
(क17) एस.टी.डी कोड सहित निवास/कार्यालय का फोन नं0/मोबाइल नं0 1												मोबाइल नं0 2														
(क18) ई मेल पता-1 (स्वयं का)												ई मेल पता-2														
(क19) (कां)	आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख [ड्रॉप डाऊन उपलब्ध कराए जाने हैं]																									
	1. 31 जुलाई																									
	2. 31 अक्टूबर																									
	3. 30 नवंबर																									

फाइल करने की प्राप्ति	(क19) (कii)	1. धारा के अधीन फाइल की गई (सही का निशान लगाएँ) [कृपया अनुदेश देखें]	☐ 139(1)- नियत तारीख को या उससे पूर्व ☐ 139(4)- नियत तारीख के पश्चात् ☐ 139(5)- पुनरीक्षित विवरणी, ☐ 92गघ-उपांतरित विवरणी, ☐ 119(2)(ख)- विलंब की माफी के पश्चात्	
		या धारा ... के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल की गई	☐ 139(9) ☐ 142(1) ☐ 148 ☐ 153ग	
	(ख)	वर्तमान निर्धारण वर्ष (नि.व.) के लिए नई कर व्यवस्था से बाहर रहने के विकल्प का चयन करने (यदि लागू है) की रीति ☐ 10झडक प्रस्तुत करके (जिनकी कारबार या वृत्ति से आय है) (उत्तर सेट क) ☐ केवल आय की विवरणी में विकल्प का प्रयोग करके (प्ररूप 10झडक लागू नहीं होता है) (उत्तर सेट ख) (सेट क) क्या आपने नि.व. 2024-25 में प्ररूप 10झडक में धारा 115खकग(6) के अधीन नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने के विकल्प का प्रयोग किया है ? (क) ☐ हां (यदि 'हां' है, तो नि.व. 2024-25 के लिए प्ररूप 10झडक प्रस्तुत करने की तारीख और पावती सं0 दें) (क1) क्या आप वर्तमान निर्धारण वर्ष के लिए नई कर व्यवस्था से बाहर रहने के विकल्प को जारी रखना चाहते हैं ☐ हां ☐ नहीं (यदि 'नहीं' है, तो नि.व. 2025-26 के लिए प्ररूप 10झडक नियत तारीख प्रस्तुत करने की तारीख और पावती सं0 दें) (ख) ☐ नहीं, (कृपया तब भी 'नहीं' का चयन करें, यदि नि.व. 2025-26 के लिए प्ररूप 10झडक नियत तारीख के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है) (ख1) क्या आप वर्तमान निर्धारण वर्ष के लिए नई कर व्यवस्था से बाहर रहने के विकल्प का प्रयोग करना चाहते हैं ☐ हां ☐ नहीं (यदि 'हां' है, तो नि.व. 2025-26 के लिए प्ररूप 10झडक प्रस्तुत करने की तारीख और पावती सं0 दें) (ग) ☐ लागू नहीं होता (नि.व. 2024-25 के लिए आय की विवरणी, प्ररूप 10झडक की अपेक्षा के बिना, आकवि1/आकवि2/आकवि3 में प्रस्तुत की गई थी) (ग1) क्या आप वर्तमान निर्धारण वर्ष के लिए नई कर व्यवस्था से बाहर रहने के विकल्प का प्रयोग करना चाहते हैं ☐ हां ☐ नहीं (यदि 'हां' है, तो नि.व. 2025-26 के लिए प्ररूप 10झडक प्रस्तुत करने की तारीख और पावती सं0 दें) (सेट ख) क्या आप धारा 115खकग(6) के अधीन नई कर व्यवस्था से बाहर रहने के विकल्प का चयन करना चाहते हैं ? (डिफाल्ट 'नहीं' है) ☐ हां ☐ नहीं टिप्पण--धारा 115खकग(6) के अधीन विकल्प का प्रयोग, धारा 139(1) के अधीन विवरणी फाइल करने के लिए नियत तारीख को या उससे पूर्व किया जाना चाहिए।		
	(ग)	क्या आप धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत कर रहे हैं, अन्यथा आय की विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है ? (सही का निशान लगाएँ) ☐ हां ☐ नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें,— [टिप्पण: केवल तभी भरा जाना चाहिए, यदि किसी व्यक्ति को धारा 139(1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है, किन्तु वह धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अधीन उल्लिखित शर्तों में से एक या अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण आय की विवरणी प्रस्तुत कर रहा है।]		
	(गi)	क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान एक या अधिक चालू खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक रकम या सकल रकम जमा किया है ? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (रु)	
	(गii)	क्या आपने स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की विदेश में यात्रा के लिए 2 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है ?	(यदि हां है तो) रकम (रु)	
	(गiii)	क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान विद्युत के उपभोग के लिए 1 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है ? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (रु)	

	(गiv)	क्या आपको धारा 139(1) के सातवें उपबंध के खंड (iv) के अधीन विहित अन्य शर्तों के अनुसार विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है (यदि हां, तो कृपया ड्रॉप डाऊन मेनू से सुसंगत शर्त का चयन करें)								(चिन्ह) ☐ हां ☐ नहीं
	(घ)	यदि पुनरीक्षित/वृद्धिपूर्ण/उपांतरित है तो मूल विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख और रसीद सं0 प्रविष्ट करें (डीडी/एमएम/ वाईवाईवाईवाई)								/ /
	(ङ)	यदि धारा 139(9)/142(1)/148/153ग के अधीन नोटिस या धारा 119(2)(ख) के अधीन आदेश के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत की गई है, तो यूनिक नंबर/डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर और ऐसी सूचना आदेश की तारीख प्रस्तुत करें, या यदि धारा 92गघ के अधीन दायर किया गया है तो अग्रिम मूल्यांकन करार की तारीख प्रस्तुत करें	(यूनिक नंबर)						/ /	
	(च)	भारत में आवासीय प्रास्थिति (व्यक्तियों के लिए) (लागू विकल्प पर सही का निशान लगाएं)	(क) निवासी	☐ आप पूर्ववर्ष के दौरान 182 दिन या उससे अधिक समय के लिए भारत में थे [धारा 6(1)(क)] ☐ आप पूर्ववर्ष के दौरान 60 दिन या उससे अधिक समय के लिए भारत में थे या पूर्ववर्ती 4 वर्षों के दौरान 365 दिनों या उससे अधिक समय के लिए भारत में रह चुके हैं [धारा (6)(1)(ग)] [जहाँ स्पष्टीकरण 1 लागू न हों] ☐ आप भारत के नागरिक हैं, जिसने रोजगार के प्रयोजनार्थ, भारतीय जहाजरानी पर कर्मिंदल के सदस्य के रूप में, भारत छोड़ दिया है और पूर्ववर्ष के दौरान 182 दिन या इससे अधिक के लिए तथा पूर्ववर्ती 4 वर्षों के भीतर 365 दिन या इससे अधिक के लिए भारत में थे [धारा (6)(1)(ग) का स्पष्टीकरण 1(क)] ☐ आप भारत के नागरिक हैं या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और पूर्ववर्ष के दौरान भारत में दौरे पर आए हैं और क) पूर्ववर्ष के दौरान 182 दिन या उससे अधिक के लिए तथा पूर्ववर्ती 4 वर्षों के भीतर 365 दिन या इससे अधिक के लिए भारत में थे ; या ख) पूर्ववर्ष के दौरान 120 दिन या उससे अधिक के लिए तथा पूर्ववर्ती 4 वर्षों के भीतर 365 दिन या इससे अधिक के लिए भारत में थे, यदि विदेशी खोतों से आय से भिन्न, कुल आय 15 लाख रु. से अधिक हो [स्पष्टीकरण धारा (6)(1)(ग) का स्पष्टीकरण 1(ख)]						
			(ख) निवासी, किंतु साधारण तौर पर निवासी नहीं।	☐ आप पूर्ववर्ती 10 वर्षों में से 9 में भारत में अनिवासी रहे हैं [धारा 6(6)(क)] ☐ आप पूर्ववर्ती 7 वर्षों के दौरान 729 दिन या उससे कम भारत में रह रहे हैं [धारा 6(6)(क)] ☐ आप भारत के नागरिक हैं, या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, जो भारत में दौरे पर आया है, जिसकी विदेशी खोतों से आय से भिन्न, कुल आय 15 लाख रु. से अधिक हो और भारत में पूर्ववर्ष के दौरान 120 दिन या उससे अधिक, लेकिन 182 दिन से कम रहा है। [धारा 6(6)(ग)] ☐ आप भारत के ऐसे नागरिक हैं, जिसकी पूर्ववर्ष के दौरान, विदेशी खोतों से आय से भिन्न, कुल आय 15 लाख रु. से अधिक है और जो किसी अन्य देश या क्षेत्र में, अपने अधिवास या निवास या अन्य किसी समान प्रकृति के मानदंड के कारण, कर से प्रभार्य नहीं है [धारा 6(6)(ग)]						
			(ग) अनिवासी	☐ आप पूर्ववर्ष के दौरान अनिवासी थे (i) कृपया पूर्ववर्ष के दौरान निवास की अधिकारिता (अधिकारिताओं) को विनिर्दिष्ट करें —						
				क्रम सं.	निवास की अधिकारिता	करदाता पहचान संख्या				
				1						
				2						
				(ii) यदि आप भारत के नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, कृपया विनिर्दिष्ट करें--						

				पूर्ववर्ष के दौरान भारत में रुकने की कुल अवधि (दिनों में)	पूर्ववर्ती 4 वर्षों के दौरान भारत में रुकने की कुल अवधि (दिनों में)										
		भारत में आवासीय प्रास्थिति (हिंदू अविभक्त कुटुंब के लिए) (लागू विकल्प पर सही का निशान लगाएं)			☐ निवासी ☐ निवासी, किंतु साधारण तौर पर निवासी नहीं ☐ अनिवासी										
	(छ)	क्या आप धारा 115ज के अधीन प्रसुविधा का दावा करना चाहते हैं? (निवासी की दशा में लागू)			☐ हां ☐ नहीं										
	(ज)	क्या आप धारा 5क के अनुसार पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित किये जाते हैं? (चिह्नित करें) ☐ हां ☐ नहीं (यदि हां तो कृपया अनुसूची 5क भरें)													
	(झ)	क्या यह विवरणी किसी प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा फाइल की जा रही है? (सही का निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं, यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें													
		(1)	प्रतिनिधि निर्धारिती का नाम												
		(2)	प्रतिनिधि की हैसियत (ड्रॉप डाऊन उपलब्ध कराए जाने हैं)												
		(3)	प्रतिनिधि निर्धारिती का पता												
		(4)	प्रतिनिधि निर्धारिती का स्थायी लेखा संख्या (पैन)/आधार संख्या												
	(ज)	क्या आप पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय किसी कंपनी में निदेशक थे? ☐ (चिह्नित करें) ☐ हां ☐ नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें।													
		कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	स्थायी लेखा सं.	क्या इसके शेयर सूचीबद्ध है या असूचीबद्ध	निदेशक पहचान संख्या (नि.प.सं)									
	(ट)	क्या आप फर्म में भागीदार है? ☐ (चिह्नित करें) ☐ हां ☐ नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें -													
		फर्म का नाम			स्थायी लेखा सं.										
	(ठ)	क्या आप पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय असूचीबद्ध साधारण शेयर धारित किए हैं? ☐ (चिह्नित करें) ☐ हां ☐ नहीं यदि हां, तो कृपया साम्या शेयर के संबंध में निम्नलिखित जानकारी दें।													
		कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	स्थायी लेखा सं.	आरंभिक अतिशेष	वर्ष के दौरान अर्जित किए गए शेयर		वर्ष के दौरान अंतरित शेयर		अंत अतिशेष					
					शेयरों की संख्या	अर्जन की लागत	शेयरों की संख्या	अभिदान/क्रय की तारीख	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गम मूल्य (नए निर्गम की दशा में)	प्रति शेयर क्रय कीमत (विद्यमान शेयर धारक से क्रय की दशा में)	शेयर की संख्या	अर्जन की लागत	शेयर की संख्या	विक्रय प्रतिफल
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	(ड)	अनिवासी की दशा में, क्या भारत में कोई स्थायी स्थापन है ☐ (चिह्नित करें) ☐ हां ☐ नहीं													
	(ढ)	अनिवासी की दशा में, क्या भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति (एस ई पी) है? (चिह्नित करें) ☐ हां ☐ नहीं कृपया निम्नलिखित का विवरण प्रस्तुत करें (क) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(क) में यथा निर्दिष्ट पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान संव्यवहार या संव्यवहारों से उद्भूत संदायों का योग (ख) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(क) में यथा निर्दिष्ट भारत में उपयोगकर्ताओं की संख्या													
	(ण)	क्या निर्धारिती की किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में कोई इकाई है और उसकी केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में आय व्युत्पन्न होती है? ☐ हां ☐ नहीं													
	(त)	क्या आप एफ.पी.आई हैं? हां/नहीं यदि हां, सेबी रजिस्ट्रीकरण प्रदान करें													

	(थ)	विधिक इकाई पहचानकर्ता (एल ई आई) विवरण (यदि प्रतिदाय 50 करोड़ या उससे अधिक है, तो अनिवार्य)			
		एल ई आई सं.		तारीख, जिस तक वैध है	
लेखा संपरीक्षा जानकारी	(क1)	क्या आप धारा 44क के अनुसार लेखा रखने के लिए दायी हैं ? ☒ (चिह्नित करें) ☐ हां ☐ नहीं			
	(क2)	क्या निर्धारिती केवल 44कड/44ख/44खब/44कघ/44कच/44खक/44खख के अधीन आय की घोषणा कर रहा है ☐ हां ☐ नहीं			
	(क2i)	यदि नहीं, तो क्या वर्ष के दौरान कारबार की कुल बिक्री/आवर्त/सकल प्राप्ति 1 करोड़ रुपये और 10 करोड़ रुपए के बीच है? ☐ हां ☐ नहीं, आवर्त 1 करोड़ से अधिक नहीं है ☐ नहीं, आवर्त 10 करोड़ के अधिक है			
	(क2ii)	यदि क2i में हां का चयन किया गया है, तो क्या पूर्ववर्ष के दौरान बिक्री, आवर्त या सकल प्राप्तियों या पूंजीगत योगदान, ऋण आदि जैसे पूंजीगत लेखा के लिए प्राप्त राशि सहित सभी राशियों का सकल, नकद और गैर पाने वाले के खाते में चेक/डीडी के रूप में, उक्त राशि के पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं है? ☐ हां ☐ नहीं			
	(क2iii)	यदि क2i में हां का चयन किया गया है, तो क्या पूर्ववर्ष के दौरान व्यय के लिए राशि या पूंजीगत लेखा जैसे परिसंपत्ति अधिग्रहण, ऋणों के पुनर्भुगतान आदि सहित किए गए सभी संदायों का सकल, नकद और गैर पाने वाले के खाते में चेक/डीडी के रूप में, उक्त राशि के पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं है? ☐ हां ☐ नहीं			
	(ख)	क्या आप धारा 44क के अनुसार लेखा संपरीक्षा के लिए दायी हैं ? ☒ (चिह्नित करें) ☐ हां ☐ नहीं			
		यदि (ख) पर हां चुना जाता है, निम्नलिखित शर्तों में से उस शर्त को वर्णित करें, जिसके आधार पर चुना गया है :			
	(खi)	विक्रय, आवर्त या कुल प्राप्तियां, धारा 44क के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हैं ☒ (चिह्नित करें)			
	(खii)	निर्धारिती धारा 44कघ/धारा 44कच/धारा 44कड/धारा 44ख में आता है, परंतु उपधारणात्मक आधार पर आय प्रस्थापित नहीं कर रहा है (लागू धारा में ☒ चिन्ह लगाएं) ☐ 44कघ ☐ 44कच ☐ 44कड ☐ 44ख			
	(खiii)	अन्य ☒ (चिह्नित करें)			
	(ग)	यदि (ख) हां है तो क्या लेखाओं की किसी लेखाकार द्वारा संपरीक्षा कराई गई है ☒ (चिह्नित करें) ☐ हां ☐ नहीं यदि हां है तो, निम्न सूचना प्रस्तुत करें			
		(1)	लेखा संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई) / /		
	(2)	कर लेखा संपरीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले लेखा परीक्षक का नाम			
	(3)	लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या			
	(4)	लेखा परीक्षक का नाम (स्वत्वधारी/फर्म)			
	(5)	स्वत्वधारी/फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या			
	(6)	स्वत्वधारी/फर्म का स्थायी लेखा संख्या (पैन)/आधार सं.			
	(7)	लेखा संपरीक्षा रिपोर्ट की तारीख			
	(8)	लेखा संपरीक्षा की अधिस्वीकृति सं.			
	(9)	यूडीआईएन			
	(घi)	क्या आप धारा 92ड. के अधीन लेखा संपरीक्षा के लिए दायी हैं ? ☐ हां ☐ नहीं			
	(घii)	यदि (घi) हां है, क्या खातों की संपरीक्षा धारा 93ड के अधीन की गई है	☐ हां ☐ नहीं	लेखा संपरीक्षा प्रस्तुत करने की तारीख (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई)	पावती सं.
	(घiii)	यदि अन्य लेखा संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है, तो वर्णित करें कि क्या आपने ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, यदि हां, कृपया नीचे उल्लिखित विवरण प्रदान करें, (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई) (कृपया निर्देश देखें)			
		☐	☐	☐	☐
		क्रम सं.	धारा कोड	तारीख (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई)	पावती सं.
	(ड)	यदि आय-कर अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियम के अधीन लेखा संपरीक्षा के लिए दायी है तो अधिनियम, धारा और संपरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तारीख का उल्लेख करें।			

		अधिनियम और धारा	डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई	अधिनियम और धारा	डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई
कारबार की प्रकृति		कारबार या वृत्ति की प्रकृति, यदि कारबार या वृत्ति एक से अधिक हैं तो तीन मुख्य क्रियाकलापों/उत्पादों को उपदर्शित करें (धारा 44कघ, धारा 44कघक और 44कड. के अधीन आय की घोषणा करने वाले व्यक्तियों से भिन्न)			
	क्र०सं०	कोड (कृपया अनुदेश देखें)	स्वत्वधारी का व्यापार नाम, यदि कोई है		वर्णन
	(i)				
	(ii)				
	(iii)				

भाग क - तुलनपत्र		स्वत्वधारी कारबार या वृत्ति का 31 मार्च 2025 को तुलन-पत्र (ऐसे मामले में, जहां नियमित बही लेखा रखा जाता है नीचे मदों को भरें, अन्यथा मद 6 भरें)			
निधियों का उपयोग	1	स्वत्वधारी की निधि			
	क	स्वत्वधारी की पूंजी			क
		आरक्षित और अधिशेष			
		i	पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति	खा	
		ii	पूंजी आरक्षिति	खाii	
		iii	कानूनी आरक्षिति	खाiii	
		iv	कोई अन्य आरक्षिति	खाiv	
		v	योग (खा + खाii + खाiii + खाiv)	खv	
	ग	कुल स्वत्वधारी की निधि (क + खv)			1ग
	2	ऋण निधियां			
	क	प्रतिभूत ऋण			
		i	विदेशी मुद्रा ऋण	क i	
		ii	रूपए में ऋण		
		अ	बैंकों से ऋण	iiअ	
		आ	अन्य से	iiआ	
		इ	योग (iiअ + iiआ)	iiइ	
		iii	योग (का + iiइ)	काiii	
	ख	अप्रतिभूत ऋण (जिसके अधीन निक्षेप राशि भी है)			
	i	बैंकों से ऋण			खा
		अन्य से			खाii
		योग (ख i + खii)			खiii
	ग	योग ऋण निधि (काiii + खiii)			2ग
	3	आस्थगित कर दायित्व			3
	4	अग्रिम			
	i	आय-कर अधिनियम की धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से			i
		अन्यों से			ii
		कुल अग्रिम (i + ii)			4iii
	5	निधियों के स्रोत (1ग + 2ग + 3 + 4iii)			5

निधियों का उपयोग

	1		स्थिर आस्तियां							
		क	सकल ब्लाक	1क						
		ख	अवक्षयण	1ख						
		ग	शुद्ध ब्लाक (क - ख)	1ग						
		घ	चल रहा पूंजी कार्य	1घ						
		ङ	योग (1ग + 1घ)			1ङ				
	2		विनिधान							
		क	दीर्घकालिक विनिधान							
			i	सरकारी और अन्य प्रतिभूतियां - कोट की गई	काi					
				सरकारी और अन्य प्रतिभूतियां - कोट न की गई	काii					
				योग (का + काii)			काiii			
		ख	अल्पकालिक विनिधान							
			i	साधारण शेयर, शेयर उपयोजन धन सहित	खाi					
				अधिमानी शेयर	खाii					
				डिवेंचर	खाiii					
		iv	योग (खा + खाii + खाiii)			खाiv				
		ग	कुल विनिधान (काiii + खाiv)			2 ग				
		3		चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम						
			क	चालू आस्तियां						
				i	बीजक					
					अ	भंडार, जिसके अधीन खपने वाली पैकिंग सामग्री भी है	iअ			
						कच्ची सामग्री	iआ			
	कार्यरत भंडार					iइ				
	तैयार माल /व्यापार माल					iई				
	उ				योग (iअ + iआ + iइ + iई)			iउ		
	ii			अन्यान्य ऋणी			काii			
	iii			नकद और बैंक अतिशेष						
	अ			हस्तगत नकदी	iiiअ					
				आ	बैंक के पास अतिशेष	iiiआ				
				इ	योग (iiiअ + iiiआ)			iiiइ		
	iv			अन्य चालू आस्तियां			काiv			
	v			कुल चालू आस्तियां (iउ + काii + iiiइ + काiv)			कv			
	ख			ऋण और अग्रिम						
				i	नकद में या वस्तु रूप में वसूलनीय अग्रिम या उसके लिए प्राप्त किया जाने वाला मूल्य	खाi				
					निक्षेप, ऋण और निगमित या अन्य से अग्रिम	खii				
			राजस्व प्राधिकारियों आदि के पास अतिशेष		खiii					
		iv	योग (खा + खii + खiii)			खाiv				
		ग	चालू आस्तियों, ऋणों और अग्रिमों का योग (कv + खाiv)			3ग				
		घ	चालू दायित्व और उपबंध							
			i	चालू दायित्व						

बहुदशा, जहाँ लेखा नहीं रखे जाते			अ	अन्यान्य लेनदार	iअ		
			आ	पट्टाधृत आस्तियों के लिए दायित्व	iआ		
			इ	उपर्युक्त पर उदभूत व्याज	iइ		
			ई	उदभूत व्याज किंतु जो ऋणों पर शोध्य नहीं हैं	iई		
			उ	योग (iअ + iआ + iइ + iई)			
						1उ	
			ii	उपबंध			
			अ	आय-कर के लिए उपबंध	iiअ		
			आ	छुट्टी भुनाने/अधिवर्षिता/उपदान के लिए उपबंध	iiआ		
			इ	अन्य उपबंध	iiइ		
			ई	योग (iiअ + iiआ + iiइ)			
						iiई	
			iii	योग (iउ + iiई)			चांiii
			ड	शुद्ध चालू आस्तियां (3ग - चांiii)			3ड
			4	क अवलिखित या समायोजित न किया गया प्रकीर्ण व्यय	4क		
			ख	आस्थगित कर आस्ति	4ख		
			ग	लाभ और हानि लेखा / संचित अतिशेष	4ग		
			घ	योग (4क + 4ख + 4ग)			
						4घ	
			5	निधियों के उपयोजन का योग (1ड + 2ग + 3ड + 4घ)			5
बहुदशा, जहाँ लेखा नहीं रखे जाते			6	उस दशा में जहाँ कारबार या वृत्ति की लेखा बहियां नियमित नहीं रखी जाती है-- (कारबार या वृत्ति के संबंध में 31 मार्च, 2024 तक की निम्नलिखित जानकारी दें)			
			क	अन्यान्य ऋणियों की कुल रकम			6क
			ख	अन्यान्य लेनदारों की कुल रकम			6ख
			ग	व्यापारगत स्टॉक की कुल रकम			6ग
			घ	नकदी बकाया की रकम			6घ

भाग क- विनिर्माण लेखा		वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विनिर्माण लेखा (जहां नियमित लेखा बहियाँ रखी जाती है उस दशा में मद 1 से 3 भरें, अन्यथा यथा लागू मद 61 से 64 भरें)					
	1	विनिर्माण लेखा के लिए विकलन					
	क	आरंभिक सूची					
		i	कच्ची सामग्री का आरंभिक स्टॉक	i			
		ii	चालू काम का आरंभिक स्टॉक	ii			
	iii	कुल (i + ii)			कiii		
	ख	क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हो)				ख	
	ग	प्रत्यक्ष मजदूरी				ग	
	घ	प्रत्यक्ष व्यय (घा + घii + घiii)				घ	
		i	आवक वहन व्यय	i			
		ii	विद्युत आर ईंधन	ii			
		iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय	iii			
	ड.	कारखाने का उपरी व्यय					
		I	अप्रत्यक्ष मजदूरी	i			
		II	कारखाना किराया और दरें	ii			
		III	कारखाना बीमा	iii			
		IV	कारखाना ईंधन और विद्युत	iv			
		V	कारखाने का साधारण व्यय	v			
		VI	कारखाना मशीनरी का अवक्षयण	vi			
	VII	कुल (I+II+III+IV+V+VI)			ड.vii		
	च	विनिर्माण लेखा के लिए कुल विकलन (क iii+ख +ग +घ +ड.vii)				1च	
	2	अंतिम स्टॉक					
	i	कच्ची सामग्री	2i				
	ii	चालू काम	2ii				
	कुल (2i +2ii)			2			
3	माल उत्पाद की लागू - व्यापारिक लेखा के लिए अंतरित (1च - 2)				3		

भाग -क व्यापारिक लेखा।		वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए व्यापारिक लेख (जहाँ नियमित लेखा बही रखी जाती है, वहाँ मद 4 से मद 12 तक भरें अन्यथा मद 61 से मद 65 भरें, यथा लागू)									
व्यापारिक लेखा के लिए प्रत्यय	4	संक्रियाओं से राजस्व									
	क	कारबार का विक्रय/सकल प्राप्ति शुद्ध विवरणी और प्रतिदाय तथा शुल्क या कर, यदि कोई हो									
		I	माल का विक्रय			i					
		ii	सेवाओं का विक्रय			ii					
			iii अन्य संक्रियात्मक राजस्व (प्रकृति और रकम निर्दिष्ट करें)								
			क							iiiए	
				ख						iiiड	
				ग कुल (iiiक + iiiख)						iiic	
		iv	कुल (i + ii + iii ग)					कiv			
	ख	वृत्ति से सकल प्राप्ति					ख				

	ग	विक्रीत माल और सेवा या पूर्ति के संबंध में प्राप्त या प्राप्त होने योग्य शुल्क, कर और उपकर					
		i	संघ उत्पाद शुल्क	i			
		ii	सेवा कर	ii			
		iii	मूल्य वर्धित कर/ विक्रय कर	iii			
		iv	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	iv			
		v	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	v			
		vi	समेकित माल सेवा कर (आईजीएसटी)	vi			
		vii	संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	vii			
		viii	कोई अन्य शुल्क, कर या उपकर	viii			
		ix	कुल (i+ii+iii+iv+v+vi+vii+viii)				
घ	संक्रियाओं से कुल राजस्व (कiv + ख+गix)			4घ			
5	तैयार माल का अंतिम स्टॉक			5			
6	व्यापारिक लेखा के लिए कुल प्रत्यय (4घ + 5)			6			
व्यापारिक लेखा के लिए विकल्प	7	तैयार माल का आरंभिक स्टॉक			7		
	8	क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हों)			8		
	9	प्रत्यक्ष व्यय (9i + 9ii + 9iii)			9		
		i	आवक वहन व्यय	9i			
		ii	विद्युत और ईंधन	9ii			
	iii	अन्य प्रत्यक्ष कर (टिप्पण प्रत्यक्ष व्ययों की प्रकृति के अनुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है)	9iii				
	10	क्रय किए गए माल और सेवा के संबंध में शुल्क और क्रय, संदत्त या संदेय					
		i	सीमा शुल्क	10i			
		ii	प्रति शुल्क	10ii			
		iii	विशेष अतिरिक्त शुल्क	10iii			
iv		संघ उत्पाद शुल्क	10iv				
v		सेवा कर	10v				
vi		मूल्य वर्धित कर/ विक्रय कर	10vi				
vii		केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	10vii				
viii		राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	10viii				
ix		समेकित माल सेवा कर (आईजीएसटी)	10ix				
x		संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	10x				
xi		कोई अन्य शुल्क, कर या उपकर	10xi				
	xii	योग (10i+10ii+10iii+10iv+10v+10vi+10vii+10viii+10ix+10x+10xi)			10xii		
11	माल उत्पाद की लागत - विनिर्माण लेखा से अंतरित			11			
12	कारबार/वृत्ति से सकल लाभ-लाभ और हानि लेखा को अंतरित (6-7-8-9-10xii-11)			12			
12क	इंट्राडे का कारबार से आवर्त			12क			
12ख	इंट्राडे कारबार की आय- लाभ तथा हानि लेखा को अंतरित			12ख			

भाग क-लाभ और हानि

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लाभ और हानि लेखा (नियमित लेखा बहियां बनाए रखे जाने की दशा में मद 13 से 60 भरें, अन्यथा यथा लागू 61 से 65 भरें)

सं क्र	13	व्यापार लेखा से अंतरित सकल लाभ (12+12ख)	13	
--------	----	---	----	--

14	अन्य आय					
	i	किराया	i			
	ii	कमीशन	ii			
	iii	लाभांश आय	iii			
	iv	व्याज आय	iv			
	v	नियत आस्तियों के विक्रय से लाभ	v			
	vi	प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) से प्रभार्य प्रतिभूतियों में किए गए निवेश के विक्रय पर लाभ	vi			
	vii	अन्य निवेशों के विक्रय पर लाभ	vii			
	viii	धारा 43कक के अधीन विदेशी मुद्रा मूल्य में उतार चढ़ाव के मद्दे अभिलाभ (हानि)	viii			
	ix	धारा 28(vi) के अधीन माल सूचियों को पूंजी आस्तियों में संपरिवर्तित किए जाने पर लाभ (संपरिवर्तन की तारीख को माल सूची का उचित बाजार मूल्य)	ix			
	x	कृषि आय	x			
	xi	कोई अन्य आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)				
		क	xiए			
		ख	xiइ			
	ग	योग (xiक + xiख)	xic			
xii	अन्य आय का योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xiग)			14xii		
लाभ और हानि लेखा से विकलन	15	लाभ और हानि लेखा में किए गए जमा का योग (13+14xii)			15	
	16	बर्हिगामी माल भाडा			16	
	17	भंडारों और कलपुर्जों का उपभोग			17	
	18	विद्युत और ईंधन			18	
	19	किराया			19	
	20	भवनों की मरम्मत			20	
	21	मशीनरी की मरम्मत			21	
	22	कर्मचारियों को प्रतिकर				
	i	वेतन और मजदूरी	22i			
	ii	बोनस	22ii			
	iii	चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति	22iii			
	iv	छुट्टी नकदीकरण	22iv			
	v	छुट्टी यात्रा फायदा	22v			
	vi	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	22vi			
	vii	मान्यताप्राप्त भविष्यनिधि में अभिदाय	22vii			
	viii	मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	22viii			
	ix	किसी अन्य निधि में अभिदाय	22ix			
	x	कर्मचारियों को कोई अन्य फायदा, जिसके संबंध में कोई व्यय उपगत किया गया है	22x			
	xi	कर्मचारियों को कुल प्रतिकर (22i से 22x का योग)			22xi	
xii	क्या 22xi में सम्मिलित कोई प्रतिकर अनिवासियों को संदत्त किया गया है	xiiक	हां / नहीं			

		यदि हां, तो अनिवासियों को संदत्त रकम	xliख		
23	बीमा				
	i	चिकित्सा बीमा	23i		
	ii	जीवन बीमा	23ii		
	iii	कीमेन्स बीमा	23iii		
	iv	अन्य बीमा, जिसके अधीन कारखाना, कार्यालय, कार, माल आदि हैं	23iv		
	v	बीमा पर कुल व्यय (23i + 23ii + 23iii + 23iv)			23v
24	कर्मकार और कर्मचारीवृंद कल्याण संबंधी व्यय				24
25	मनोरंजन				25
26	सत्कार				26
27	सम्मेलन				27
28	प्रचार सहित विक्रय संवर्धन (विज्ञापन से भिन्न)				28
29	विज्ञापन				29
30	कमीशन				
	i	भारत से बाहर संदत्त या भारत के भीतर किसी कंपनी या किसी विदेशी कंपनी से भिन्न किसी अनिवासी को संदत्त	i		
	ii	अन्यों को संदत्त	ii		
	iii	योग (i + ii)			30iii
31	स्वामित्व				
	i	भारत से बाहर संदत्त या भारत के भीतर किसी कंपनी या किसी विदेशी कंपनी से भिन्न किसी अनिवासी को संदत्त	i		
	ii	अन्यों को संदत्त	ii		
	iii	योग (i + ii)			31iii
32	वृत्तिक/परामर्श संबंधी फीस/तकनीकी सेवाओं के लिए फीस				
	i	भारत से बाहर संदत्त या भारत के भीतर किसी कंपनी या किसी विदेशी कंपनी से भिन्न किसी अनिवासी को संदत्त	i		
	ii	अन्यों को संदत्त	ii		
	iii	योग (i + ii)			32iii
33	होटल, बोर्डिंग और वासा				33
34	विदेशी यात्रा से भिन्न यात्रा व्यय				34
35	विदेशी यात्रा व्यय				35
36	वाहन व्यय				36
37	टेलीफोन व्यय				37
38	अतारीख गृह व्यय				38
39	क्लब व्यय				39
40	त्यौहार मनाए जाने संबंधी व्यय				40
41	छात्रवृत्ति				41
42	दान				42
43	दान				43
44	दरें और सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय कर (आय-कर को छोड़कर)				

	i	संघ का उत्पाद शुल्क	44i										
	ii	सेवा कर	44ii										
	iii	मूल्यवर्धित कर / विक्रय कर	44iii										
	iv	उपकर	44iv										
	v	केंद्रीय माल और सेवाकर (सीजीएसटी)	44v										
	vi	राज्य माल और सेवाकर (एसजीएसटी)	44vi										
	vii	एकीकृत माल और सेवाकर (आईजीएसटी)	44vii										
	viii	संघ राज्यक्षेत्र एकीकृत माल और सेवाकर (यूजीएसटी)	44viii										
	ix	कोई अन्य दर, कर, शुल्क या उपकर, एसटीटी और सीटीटी सहित	44ix										
	x	कुल दरें और संदत्त या संदेय कर (44i + 44ii +44iii +44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii +44ix)	44x										
45	संपरीक्षा फीस				45								
46	अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)												
i		i											
ii		ii											
iii	कुल (i + ii)			46iii									
47	डूबत ऋण (ऐसे व्यक्ति का पैना/आधार संख्या विनिर्दिष्ट करें, यदि उपलब्ध हों, जिसके लिए डूबत ऋण के संबंध में एक लाख रुपए या अधिक की रकम का दावा किया गया है और रकम)												
i1											47i1		
i2											47i2		
i3											47i3		
i	अपेक्षानुसार पंक्तियाँ जोड़ी जा सकती हैं । कुल (47i1+47i2+47i3)										47i		
ii	अन्य (1 लाख रुपये से अधिक) जहाँ पैना / आधार संख्या उपलब्ध नहीं है (नाम और पूर्ण पता उपबंधित करें)										47ii		
iii	अन्य (1 लाख रुपये से कम की रकम)										47iii		
iv	कुल डूबत ऋण(47i + 47ii + 47iii)										47iv		
48	डूबा और शंकास्पद ऋण के लिए उपबंध										48		
49	अन्य उपबंध										49		
50	व्याज, अवक्षयण और कर के पूर्व लाभ [15 - (16 से 21 + 22xi + 23v + 24 से 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 से 43 + 44x + 45 + 46iii + 47iv + 48 + 49)]										50		
51	व्याज												
i	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी केलिए भारत से बाहर संदाय या भारत में संदाय								i				
ii	अन्य को								ii				
iii	कुल (i + ii)											51iii	
52	अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण										52		
53	करों के पूर्ण शुद्ध लाभ (50 - 51iii - 52)										53		
54	चालू कर के लिए उपबंध										54		
55	आस्थगित कर का उपबंध										55		
56	कर के पश्चात् लाभ (53 - 54 - 55)										56		
57	पूर्ववर्ष से आगे लाया गया अतिशेष										57		

कर और वित्तियोग के लिए उपबंध

कर और वित्तियोग के लिए उपबंध

	58	विनियोग के लिए उपलब्ध रकम (56 + 57)					58		
	59	आरक्षित और अधिशेष के लिए अंतरित					59		
	60	स्वत्वधारी के लेख में तुलनपत्र के लिए अग्रणीत अतिशेष (58 -59)					60		
उपधारात्मक मातृले	61	धारा 44कघ के अधीन उपधाराणात्मक कारबार आय की संगणना							
		क्रम सं.	कारबार का नाम		कारबार कोड		विवरण		
	(i)	सकल आवर्त या सकल प्राप्तियाँ (ik + iख+ ig) (61i, 2 करोड़ रु. तक सीमित, तथापि, यदि 61iख+61ig, 61i के 5% से कम है या उसके समान है, तो 61i के अधीन सीमा 3 करोड़ तक विस्तारित की जाती है)					61i		
		(क)	निर्दिष्ट तारीख से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त			ik			
			(ख) नकद में प्राप्ति			iख			
		(ग)	क और ख के सिवाय कोई अन्य पद्धति			ig			
	(ii)	धारा 44 क घ के अधीन उपधाराणात्मक आय (iik + iiख)					61ii		
		(क)	61i क का 6% या दावाकृत रकम जो अर्जित की गई है, उनमें से जो भी अधिक हो			iik			
	(ख)	(61iख+61ig) का 8% या दावाकृत रकम जो अर्जित की गई है, उनमें से जो भी अधिक हो			iiख				
	टिप्पण : यदि उपर्युक्त सकल प्राप्तियाँ/ आवर्त के प्रतिशत से कम आय है, तो धारा 44कख के अधीन लेखा बही और कर संपरीक्षा को रखना आज्ञापक है।								
	62	धारा 44कघक के अधीन वृत्ति से उपधाराणात्मक आय की संगणना							
			क्रम सं.	कारबार का नाम		कारबार कोड		विवरण	
	(i)	सकल प्राप्तियाँ (62i, 50 लाख रु0 तक सीमित, तथापि, यदि 62iख+62ig, 62i के 5% से कम है या उसके समान है, तो 62i के अधीन सीमा 750 लाख रु0 तक विस्तारित की जाती है)					62i		
		(क)	निर्दिष्ट तारीख से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त			ik			
			(ख) नकद में प्राप्ति			iख			
		(ग)	क और ख के सिवाय कोई अन्य पद्धति			ig			
	(ii)	धारा 44कघक के अधीन उपधाराणात्मक आय (62i का 50% या दावाकृत रकम, जो अर्जित की गई है, उनमें से जो भी अधिक हो)					62ii		
		टिप्पण : यदि आय सकल प्राप्ति के 50% से कम है, तो धारा 44कख के अधीन लेखा बही और कर संपरीक्षा को रखना आज्ञापक है।							
	63	धारा 44 कघ के अधीन माल वहन से उपधाराणात्मक आय की संगणना							
		क्रम सं.	कारबार का नाम		कारबार कोड		विवरण		
			माल वहन की रजिस्ट्री-करण सं.	क्या स्वामित्व/पट्टे/ किराया	माल वहन की टन भार क्षमता (मिट्रीक टन में)	मासों की संख्या, जिसमें माल निर्धारिती द्वारा स्वामित्व/पट्टे/ किराया पर दिया गया था।	माल वहन के लिए धारा 44कड. के अधीन उपधाराणात्मक आय (12 मि.ट से अधीन टन भार होने की दशा में प्रति मास प्रति मास प्रति टन 1000 रु0 दी कर से संकलित या अन्य 7500 रु0 प्रति मास की दर से या वास्तविक रूप से अर्जित की गई दावाकृत रकम, जो भी अधिक हो		
		(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
		(क)							
		(ख)							

			कुल						
		आवश्यकतानुसार पंक्ति में व्यौरा भरें (वर्ष के दौरान किसी भी समय वाहनों की संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए)							
		(ii)	धारा 44 कड. के अधीन माल वहन से कुल उपधाराणात्मक आय सारणी 6 का स्तंभ (7) का योग]				63(iii)		
		टिप्पण : यदि लाभ धारा 44 कड. के अधीन विहित से कम है या 10 वर्षों के दौरान किसी समय स्वामित्व/पट्टे/किराये पर माल वहन की संख्या अधिक है, तब धारा 44 कख के अधीन लेखा बही और कर संपरीक्षा रखना आज्ञापक है।							
वह दशा, जहां लेखा नहीं रखे जाते हैं	64	यदि कारबार का लेखा बही या वृत्ति नियमित रूप से नहीं रखा जाता है, तो कारबार या वृत्ति के संबंध में पूर्ववर्ष 2024-25 के लिए निम्नलिखित जानकारी देनी होगी।							
		(i)	कारबार करने वाले निर्धारिती के लिए						
		क	सकल प्राप्तियाँ (क1 + क2)			क			
			1	निर्दिष्ट तारीख से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त			क1		
			2	कोई अन्य रीति			क2		
		ख	सकल लाभ			ख			
		ग	व्यय			ग			
		घ	शुद्ध लाभ					64i	
		(ii)	वृत्ति करने वाले निर्धारिती के लिए						
		क	कुल प्राप्तियाँ (क1 + क2)			क			
			1	निर्दिष्ट तारीख से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त			क 1		
			2	कोई अन्य रीति			क 2		
		ख	सकल लाभ						
		ग	व्यय						
		घ	शुद्ध लाभ					64ii	
			(iii)	कुल लाभ(64i + 64ii)				64iii	
	65	i	सट्टे वाले क्रियाकलाप से आवर्त					65i	
		ii	सकल लाभ					65ii	
		iii	व्यय, यदि कोई हो					65iii	
		iv	सट्टे वाले क्रियाकलाप से शुद्ध आय (65ii-65iii)					65iv	

भाग क - अन्य जानकारी		अन्य जानकारी (यदि धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी है, तो आज्ञापक है; अन्य के लिए, यदि लागू हो तो भरें)			
अन्य जानकारी	1	पूर्ववर्ष में अपनाई गई लेखा पद्धति (चिह्नित करें) ☐ वाणिज्यिक ☐ नकद			
	2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है (चिह्नित करें) ☐ हाँ ☐ नहीं			
	3क	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानकों के अनुसार किसी विचलन, यदि कोई हों, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ XI(3)]	3क		
	3ख	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटीकरण मानकों के अनुसार किसी विचलन, यदि कोई हों, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ XI(4)]	3ख		
	4	पूर्ववर्ष में अपनाई गई अंतिम स्टाक के मूल्यांकन के पद्धति			
	क	कच्ची सामग्री (यदि लागत या बाजार मूल्य पर है, जिनमें से जो भी कम हो 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार मूल्य पर है तो 3 लिखें)			
	ख	तैयार माल (यदि लागत या बाजार मूल्य पर है, इनमें से जो भी कम हो, वहां 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार मूल्य पर है तो 3 लिखें)			
	ग	क्या स्टाक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन है (चिह्नित करें) ☐ हाँ ☐ नहीं			
	घ	धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन पद्धति से किसी विचलन, यदि कोई हों, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी	4घ		
	ङ	धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन पद्धति से किसी विचलन, यदि कोई हों, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि	4ङ		
	5	लाभ और हानि लेखा में जमा न की गई रकम, जो निम्नलिखित है—			
	क	धारा 28 की परिधि में आने वाली मदें	5क		
	ख	प्रोफार्मा क्रेडिट, वापसी, सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या सेवा कर के प्रतिदाय अथवा विक्रय कर या मूल्यवर्धित कर के प्रतिदाय या जीएसटी के प्रतिदाय, जहां ऐसे क्रेडिट, वापसी या प्रतिदाय प्राधिकारियों द्वारा शोध्यों के रूप में स्वीकार किए जाते हैं।	5ख		
	ग	पूर्ववर्ष के दौरान स्वीकार किए गए वर्धित दावे	5ग		
	घ	आय की कोई अन्य मद	5घ		
ङ	पूँजी रसीद, यदि कोई है	5ङ			
च	लाभ और हानि लेखा में जमा न की गई कुल रकम (5क +5ख +5ग +5घ +5ङ)	5च			
6	सुसंगत खंडों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन के कारण धारा 36 के अधीन अनुनज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित की गई रकमें				
क	स्टाक या भंडार की नुकसानी या नष्ट होने की जोखिम के लिए बीमा हेतु संदत्त प्रीमियम [36(1)(i)]	6क			
ख	कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर बीमा हेतु संदत्त प्रीमियम [36(1)(ix)]	6ख			
ग	दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदत्त कोई राशि, जहां ऐसी राशि लाभ या लाभांश के रूप में उसको अन्यथा संदेय थी [36(1)(iii)]	6ग			
घ	उधार ली गई पूँजी के संबंध में संदत्त व्याज की रकम [36(1)(iii)]	6घ			
ङ	शून्य कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम [36(1)(iiiए)]	6ङ			
च	किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6च			
छ	किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6छ			
ज	धारा 80 ग ग घ में विनिर्दिष्ट पेंशन स्कीम को शेयरदान की रकम	6ज			

		झ किसी अनुमोदित उपदान निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6झ		
		ञ किसी अन्य निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6ञ		
		ट किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या ईएसआई अधिनियम के अधीन गठित किसी निधि को शेयरदान के रूप में कर्मचारियों से प्राप्त कोई रकम या सम्यक तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारियों के खाते में नहीं जमा की गई सीमा तक कर्मचारियों के कल्याण के लिए कोई अन्य निधि [36(1)(vक)]	6ट		
		ठ डूबत और शंकास्पद ऋणों की रकम [36(1)(vii)]	6ठ		
		ड डूबत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध [36(1)(viiक)]	6ड		
		ढ किसी विशेष आरक्षित को अंतरित रकम [36(1)(viii)]	6ढ		
		ण कर्मचारियों के बीच परिवार नियोजन का संवर्धन करने के परियोजन के लिए व्यय [36(1)(ix)]	6ण		
		त प्रतिभूतियों में संव्यवहार की बाबत संदत्त प्रतिभूतियों की रकम, यदि ऐसी आय को कारबार आय में सम्मिलित नहीं किया गया है [36(1)(xv)]	6त		
		थ धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आई सी डी एस के अनुसार बाजार हानि या अन्य प्रत्याशित नुकसान को संगणित रूप में चिन्हित [36(1)(xviii)]	6 थ		
		द कोई अन्य नामजूरी	6 द		
		ध धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (6 क से 6 द का योग)		6 ध	
	7	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम			
		क पूँजी प्रकृति का व्यय [37(1)]	7क		
		ख व्यक्तिगत प्रकृति के व्यय [37(1)]	7ख		
		ग कारबार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए संपूर्ण रूप से और अनन्य रूप से नहीं अधिकथित या व्यय किए गए व्यय [37(1)]	7ग		
		घ किसी राजनैतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी सोविनेर ब्रोचर, ट्रेक्ट, कागज-पत्रों या ऐसे ही सामग्री के रूप में विज्ञापन पर व्यय [37(2 ख)]	7घ		
		ङ तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अतिक्रमण के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय	7ङ		
		च कोई अन्य शास्ति या जुर्माना	7च		
		छ किसी प्रयोजन के लिए जो कोई अपराध है या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, उपगत व्यय	7छ		
		ज किसी आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम	7ज		
		झ धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय कोई अन्य रकम	7झ		
		ञ धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (7क से 7झ का योग)		7ञ	
	8	अ धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम			
		क अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुपालन के कारण धारा 40 (क) (i) के अधीन अनुज्ञेय रकम	अक		
		ख अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुपालन के कारण धारा 40 (क) (I क) XVII- ख	अख		
		ग वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय VIII के उपबंधों की अनुपालना पर, धारा 40(क) (ix) के अधीन अनुज्ञेय रकम	अग		
		घ अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुपालन के कारण धारा 40 (क) (iii) के अधीन अनुज्ञेय रकम XVII-ख	अघ		

	ड	लाभ के आधार पर उद्गृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम [40 (क) (ii)]	अड				
	च	धनकर के रूप में संदत्त रकम [40(क)(iiक)]	अच				
	छ	धारा 40(क)(iiख) के अनुसार स्वामिस्व अनुज्ञप्ति फीस, सेवा फीस आदि के माध्यम से संदत्त रकम	अछ				
	ज	किसी भी साथी या सदस्य को देय ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक की राशि धारा [40(ख)/40(खक)] के अधीन अस्वीकार्य	अज				
	झ	कोई अन्य नामंजूरी	अझ				
	ञ	धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (अक से अठ का योग)				8अञ	
	आ	किसी पूर्वगामी पूर्ववर्ष में धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय किन्तु पूर्ववर्ष के दौरान अनुज्ञेय रकम				8आ	
9	धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम						
क	धारा 40क (2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदत्त रकम	9क					
ख	धारा 40क(3) के अधीन आदाता के खाते में देय चेक अथवा आदाता के खाते में बैंक ड्राफ्ट अथवा एक बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के प्रयोग या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो निर्धारित किए गए हैं, के अतिरिक्त देय राशि अस्वीकार्य	9ख					
ग	उपदान के संदाय के लिए उपबंध [40क(7)]	9ग					
घ	किसी निधि, न्यास, कंपनी, व्यक्ति संगम, या व्यष्टि निकाय या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था को स्थापित करने के लिए या अभिदाय के रूप में कर्मचारी के रूप में निर्धारिती द्वारा संदत्त कोई राशि ; [40क(9)]	9घ					
ङ	कोई अन्य नामंजूरी	9ङ					
च	धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (कुल 9क से 9ङ)			9च			
10	किसी पूर्वगामी पूर्ववर्ष में धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय, किन्तु पूर्ववर्ष के दौरान अनुज्ञेय रकम						
क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	10क					
ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	10ख					
ग	दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदेय या राशि	10ग					
घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10घ					
घक	ऐसे ऋण या उधार से संबंधित समझौते निबंधन और शर्तों के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के ऐसे वर्ग से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में से देय कोई रकम	10घक					
ङ	किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10ङ					
च	अवकाश नकदीकरण के मद्दे संदेय कोई राशि	10च					
छ	रेल आस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई रकम	10छ					
ज	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विकास अधिनियम, 2006 की धारा में विनिर्दिष्ट समय सीमा से परे 15सूक्ष्म या लघु उद्यम की संदेय कोई रकम	10ज					
	झ	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (18क से 18ज का योग)			10झ		
11	पूर्ववर्ष के लाभ और हानि लेखा को विकलित कोई रकम किन्तु 43 ख के अधीन अनुज्ञेय						

	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	11क		
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	11ख		
	ग	दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदेय या राशि	11ग		
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11घ		
	च	ऐसे ऋण या उधार से संबंधित समझौते निबंधन और शर्तों के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के ऐसे वर्ग से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में से देय कोई रकम	11च		
	ङ	किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11ङ		
	च	अवकाश नकदीकरण के मदे संदेय कोई राशि	11च		
	छ	रेल आस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई रकम	11छ		
	ज	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विकास अधिनियम, 2006 की धारा 15 में विनिर्दिष्ट समय सीमा से परे सूक्ष्म या लघु उद्यम की संदेय कोई रकम	11ज		
	झ	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (11क से 11ज का योग)		11झ	
12	निम्नलिखित लेखाओं के संबंध में बकाया जमा की रकम				
	क	संघ उत्पाद शुल्क	12क		
	ख	सेवा कर	12ख		
	ग	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	12ग		
	घ	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	12घ		
	ङ	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	12ङ		
	च	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	12च		
	छ	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	12छ		
	ज	कोई अन्य रकम	12ज		
	झ	बकाया कुल रकम (12क से 12ज का योग)		12झ	
13	धारा 33क ख या धारा 33 क ख क के अधीन लाभ और हानि समझी गई रकम				13
14	धारा 41 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ की कोई रकम				14
15	लाभ और हानि लेखा में जमा की गई या विकलित पूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम				15
16	धारा 14क के अधीन नामंजूर व्यय की रकम				16
17	क्या निर्धारित धारा 92 गड की उपधारा 2क के अधीन विकल्प का प्रयोग कर रहा है सही ☒ का निशान लगाएं ☐ हां नहीं ☐ [यदि हां, कृपया अनुसूची टीपीएसए भरें]				17
भाग क-मात्रात्मक ब्यौरे		मात्रात्मक ब्यौरे (आज्ञापक, यदि धारा 44कख के अधीन लेखा संपरीक्षा के लिए दायी है))			
मात्रात्मक ब्यौरे	(क)	किसी व्यवसाय समुत्थान की दशा में			
	1	आरंभिक स्टाक		1	
	2	पूर्ववर्ष के दौरान क्रय		2	
	3	पूर्ववर्ष के दौरान विक्रय		3	
	4	अंतिम स्टाक		4	
	5	कमी/अधिक यदि कोई हो		5	

(ख) किसी निर्माणकारी समुत्थान की दशा में			
6	कच्ची सामग्री		
	क आरंभिक स्टॉक	6क	
	ख पूर्ववर्ष के दौरान क्रय	6ख	
	ग पूर्ववर्ष के दौरान खपत	6ग	
	घ पूर्ववर्ष के दौरान विक्रय	6घ	
	ङ अंतिम स्टॉक	6ङ	
	च प्राप्त तैयार माल	6च	
	छ प्राप्ति की प्रतिशतता	6छ	
	ज कमी/अधिक, यदि कोई हो	6ज	
	7 तैयार माल / उपोत्पाद		
	क आरंभिक स्टॉक	7क	
	ख पूर्ववर्ष के दौरान क्रय	7ख	
	ग पूर्ववर्ष के दौरान विनिर्मित मात्रा	7ग	
	घ पूर्ववर्ष के दौरान विक्रय	7घ	
	ङ अंतिम स्टॉक	7ङ	
	च कमी/अधिक, यदि कोई हो	7च	

विवरणी प्रपत्र की अनुसूचियाँ (यथा लागू हों)

अनुसूची वेतन		वेतन से आय का ब्यौरा	
वेतन	नियोजक का नाम	नियोजक की प्रकृति (सही का निशान लगाएं) ☒ (ड्रॉप डाऊन दिया जाएगा)	नियोजक का टैन (आज्ञापक यदि कर काटा गया है)
	नियोजक का पता	नगर / शहर	राज्य
			पिन कोड / ज़िप कोड
	1 सकल वेतन (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ + 1च)		1
	क धारा 17(1) के अनुसार वेतन (ड्राप डाऊन उपबंधित किया जाए)	1क	
	ख धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य (ड्राप डाऊन उपबंधित किया जाए)	1ख	
	ग धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बजाय लाभ (ड्राप डाऊन उपबंधित किया जाए)	1ग	
	घ धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश में रखा गया खाते में सेवानिवृत्ति लाभ से आय	1घ	
	ङ अधिसूचित देश(घ) के अतिरिक्त के अधीन देश में सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	1ङ	
च गत वर्ष के दौरान प्रभाष्य आय जिसमें धारा 89क के अधीन अन्य पूर्ववर्ती वर्ष में छूट का दावा किया गया	1च		
(एक से अधिक नियाजकों की दशा में सकल वेतन के लिए बहु पंक्तियां जोड़े)			
2 कुल सकल वेतन (सभी नियोजकों से)		2	
2क धारा 89 क के अधीन कराधान से राहत के लिए आय का दावा		2क	

3	धारा 10 के अधीन छूट के विस्तार तक कम भत्ते (ई-फाइलिंग उपयोगिता में ड्राप डाऊन उपबंधित किया जाए) (कृपया अनुदेश देखें) (टिप्पण: सुनिश्चित करें कि यह उपर्युक्त (2) में कुल सकल आय में सम्मिलित है)	3	
4	कुल वेतन (2 - 2क - 3)	4	
5	धारा 16 के अधीन कटौतियां (5क + 5ख + 5ग)	5	
	क धारा 16(i) के अधीन मानक कटौती	5क	
	ख धारा 16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता	5ख	
	ग धारा 16(iii) के अधीन वृत्तिक कर	5ग	
6	'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (4 - 5)	6	

अनुसूची गृह संपत्ति		गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (कृपया अनुदेशों को देखें) (संपत्ति का स्वामित्व दर्शित करने वाला ड्राप डाऊन उपबंधित किया जाए)										
गृह संपत्ति	1	संपत्ति 1 का पता	नगर / शहर	राज्य	दिश	पिन कोड / जिप कोड						
	क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां ☐ नहीं ☐ (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)											
	संपत्ति में आपके शेयर की प्रतिशतता (%) ☐											
	सह स्वामी (स्वामियों) का नाम		सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्या/ आधार संख्या			संपत्ति में शेयर की प्रतिशतता						
	I											
	II											
	[लागू विकल्प पर ☒ का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) ☒		किराएदार का नाम)यदि किराये पर हो(		किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार (कृपया टिप्पणी देखें)			किराएदार (किराएदारों) का पैन/टैन/आधार (यदि टीडीएस जमा का दावा किया जाता है)				
	☐ यदि किराए पर हो		I									
	☐ स्वयं के उपभोग में		II									
	☐ किराये पर दिया हुआ समझा गया											
	क	प्राप्त किया गया या प्राप्त करने योग्य सकल किराया या किराये पर देने का मूल्य								1क		
	ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती								1ख		
	ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर								1ग		
	घ	योग (1ख + 1ग)								1घ		
	ङ	वार्षिक मूल्य (1 क - 1 घ)- (शून्य, यदि अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार स्वयं के अधिभोग आदि में है								1ङ		
च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ)								1च			
छ	1च का 30%								1छ			
ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज (विवरण ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाऊन में भरना होगा)								1ज			
झ	योग (1छ + 2ज)								1झ			
ञ	वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त किया गया बकाया या वसूल नहीं किया गया किराया								1ञ			
ट	गृह संपत्ति 1 से आय (1च - 1झ + 1ज)								1ट			
	(प्रत्येक संपत्ति के लिए ब्यौरे पृथक रूप से भरें)											
2	पास श्रु आय/हानि, यदि कोई है *										2	
3	"गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय (Σ1ट + 2) (यदि नकारात्मक हो तो सीवाईएलए अनुसूची का 2/अंक लें)										3	

टिप्पण ▶	इस शीर्ष के अधीन आय की गणना करते समय कृपया एसपीआई अनुसूची में निर्दिष्ट व्यक्ति की विनिर्दिष्ट आय और पीटीआई अनुसूची में निर्दिष्ट निकासी आय को सम्मिलित करें।
टिप्पण ▶	किराएदार का पैन/ आधार संख्या दिया जाना अनिवार्य है यदि कर धारा 194-झ के अधीन काटा जाता है
टिप्पण ▶	किराएदार का टैन दिया जाना अनिवार्य है यदि कर धारा 194-झ के अधीन काटा जाता है

	लागू विकल्प पर ☒ का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) ☒ ☐ यदि किराए पर हो ☐ स्वयं के उपभोग में ☐ किराये पर दिया हुआ समझा गया	किराएदार का नाम)यदि किराये पर हो(	किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार (कृपया टिप्पणी देखें)										किराएदार (किराएदारों) का पैन/टैन/आधार (यदि टीडीएस जमा का दावा किया जाता है)											
		I																						
		II																						
		क	प्राप्त किया गया या प्राप्त करने योग्य सकल किराया या किराये पर देने का मूल्य																			1क		
		ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती										1ख											
		ग	स्थानीय प्राधिकारियों को सौंप कर										1ग											
		घ	योग (1ख + 1ग)										1घ											
		ङ	वार्षिक मूल्य (1 क - 1 घ)- (शून्य, यदि अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार स्वयं के अधिभोग आदि में है																			1ङ		
		च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ)																			1च		
		छ	1च का 30%										1छ											
ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज (विवरण ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाऊन में भरना होगा)										1ज													
झ	योग (1छ + 2ज)																			1झ				
ञ	वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त किया गया बकाया या वसूल नहीं किया गया किराया																			1ञ				
ट	गृह संपत्ति 1 से आय (1च - 1झ + 1ञ)																			1ट				
		प्रत्येक संपत्ति के लिए व्यौरे पृथक रूप से भरें)																						
	2	पास श्रु आय/हानि, यदि कोई है *																			2			
	3	“गृह संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन आय (Σ1ट + 2) (यदि नकारात्मक हो तो सीवाईएलए अनुसूची का 2/अंक लेवें)																			3			
टिप्पण ▶	इस शीर्ष के अधीन आय की गणना करते समय कृपया एसपीआई अनुसूची में निर्दिष्ट व्यक्ति की विनिर्दिष्ट आय और पीटीआई अनुसूची में निर्दिष्ट निकासी आय को सम्मिलित करें।																							
टिप्पण ▶	किराएदार का पैन/ आधार संख्या दिया जाना अनिवार्य है यदि कर धारा 194-झ के अधीन काटा जाता है																							
	किराएदार का टैन दिया जाना अनिवार्य है यदि कर धारा 194-झ के अधीन काटा जाता है																							

अनुसूची - कारबार या वृत्ति		कारबार या वृत्ति से आय की संगणना	
कारबार या वृत्ति से आय	अ	सट्टा कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से	
	1	लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ (भाग त और ठ का मद 53, 61(ii), 62(ii), 63(ii), 64(iii) और 65(iv))	1
	2क	1 में सम्मिलित सट्टा के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में - का चिन्ह प्रविष्ट करें) /क्रम सं. 12ख का ट्रेडिंग खाता + क्रम सं 65iv अनुसूची लाभ और हानि का 65(4)/	2क

		2ख	1 में सम्मिलित धारा 35 कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में - का चिन्ह प्रविष्ट करें)				2ख			
			3	धारा 115खखच अथवा 115खखछ अथवा धारा 115खखज के अधीन प्रभार्य अन्य शीर्षों के अधीन आय, लाभ तथा हानि लेख में जमा प्राप्ति/ आय	क	वेतन	3क			
					ख	गृह संपत्ति	3ख			
					ग	पूँजी अभिलाभ	3ग			
					घ	अन्य स्रोत	3घ			
ङ	धारा 115खखच के अधीन	3ङ								
च	115खखछ के अधीन	3च								
		छ	धारा 115खखज (अधिग्रहण की शुद्ध लागत)	3छ		(अनुसूची बीडीए की मद सं. क)				
		4क	1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो आय-कर अधिनियम की धारा 44कघ/44कघक/44कङ/44ख/44खख/44खखक/ 44खखग/44घक (ड्रापडाउन का उपबंध किया जाना है)				4क			
			4ख	नियम 7, 7 क, 7ख(1), 7ख(1क) और नियम 8 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों से लाभ (ड्रॉप डाऊन जो उपबंधित है और व्यक्तिगत रेखा मद के अनुसार उपबंधित और पकड़ने का ड्राप डाऊन))				4ख		
		5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है							
		क	फर्मों से आय का शेयर		5क					
			ख एओपी / बीओआई से आय का शेयर		5ख					
			ग कोई अन्य छूट प्राप्त आय (प्रकृति रकम विनिर्दिष्ट करें)							
			i		गाi					
			ii		गाii					
			iii	योग (ग i + ग ii)	5 ग iii					
		घ	कुल छूट प्राप्त आय (5 क + 5 ख + 5 ग iii)			5 घ				
		6	शेष (1- 2 क - 2 ख - 3 क - 3 ख - 3 ग - 3 घ - 3च - 3छ - 4क - 4ख - 5 घ)						6	
				7	लाभ तथा हानि लेखा में विकलित व्यय धारा 115खखच अथवा 115खखछ अथवा धारा 115खखज के अधीन प्रभार्य आय से संबंधित अन्य शीर्ष के अधीन परिकलित आय	क	वेतन	7क		
ख	गृह संपत्ति					7ख				
ग	पूँजी अभिलाभ					7ग				
घ	अन्य स्रोत					7घ				
ङ	धारा 115खखच के अधीन					7ङ				
च	115खखछ के अधीन					7च				
छ	धारा 115खखज (अधिग्रहण की लागत से भिन्न)					7छ				
8क	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो आय छूट से संबंधित है					8क				
8ख	धारा 14क के अधीन लाभ और हानि लेखे में से विकलित व्यय, जो आय से छूट देने और नामंजूर होने से संबंधित है (भाग क- अन्य जानकारी का 16)				8ख					
9	कुल (7क+7ख+7ग+7घ+7ङ+7च+7छ+8क+8ख)				9					
10	समायोजित लाभ या हानि (6 + 9)						10			

11	लाभ और हानि लेखा में विकलित अवक्षयण और उपकरण	11	
12	आय-कर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण		
i	धारा 32 (1)(ii) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अनुसूची अवक्षयण का स्तंभ 6)	12i	
ii	धारा 32 (1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अपनी संगणना स्वयं करे और आय-कर नियम का परिशिष्ट 1क निर्दिष्ट करें)	12ii	
iii	कुल (12i + 12ii)	12iii	
13	अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (10 + 11 - 12iii)	13	
14	धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क-ओआई का 6घ)	14	
15	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क-ओआई का 7 य)	15	
16	धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ओआई का 8कड)	16	
17	धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ओआई का 9 च)	17	
18	पूर्ववर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा-- 43ख के अधीन अनुज्ञेय हैं (भाग क -ओआई का 11ज)	18	
19	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अनुज्ञेय व्याज	19	
20	धारा 41 के अधीन समझी गई आय	20	
21	धारा 32कघ / 32कग / 33कख / 33कखक / 35कखक / 35 कखख / 35 कग / 40 क(3क) / 33कग / 72 क / 80 झझघ / 80-क के अधीन समझी गई आय	21	
22	धारा 43 ग क के अधीन समझी गई आय	22	
23	धारा 28 से 44घक के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य मद या मदें	23	
24	कोई अन्य आय, जो लाभ और हानि में सम्मिलित नहीं है/ अननुज्ञात कोई व्यय (जिसके अधीन उस फर्म से, जिसमें कोई व्यक्ति/हिंदू अविभक्त कुटुंब/स्वामित्वधारी समुत्थान भागीदार है, वेतन, कमीशन, बोनस और व्याज से आय भी है)	24	
25	आईसीडीएस समायोजनों और स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति में विकलित के मद्दे लाभ में वृद्धि या हानि में कभी (अनुसूची णझ के स्तम्भ 3क + 4छ)	25	
26	कुल (14+15+16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24 + 25)	26	
27	धारा 32 (1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती	27	
28	लाभ और हानि लेखा को विकलित रकम से अधिक में धारा 35 या धारा 35गगग या धारा 35गगघ के अधीन कटौतियों की रकम (अनुसूची डधद की मद 10(41) (यदि धारा 35 या धारा 35गगग या धारा 35गगघ के अधीन कटौती योग्य रकम पी एल लेखा को विकलित रकम से काम है तो यह मद 24 में जाएगी)	28	
29	किसी पूर्वगामी पूर्ववर्ष में धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय किन्तु पूर्ववर्ष के दौरान अनुज्ञेय रकम (भाग क- ओआई का 8ख)	29	
30	किसी पूर्वगामी पूर्ववर्ष में धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय किन्तु वर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम (भाग क -ओआई का 10ज)	30	
31	कटौती के रूप में अनुज्ञेय कोई अन्य रकम	31	

		32	आईसीडीएस समायोजनों और स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति में विकलन के मद्दे लाभ में कमी या हानि में वृद्धि (भाग क -ओआई का स्तम्भ 3ख + 4ङ)	32		
		33	कुल (27+28+29+30+31+32)		33	
		34	आय (13+26-33)		34	
		35	निम्नलिखित के अधीन कारबार या वृत्ति का लाभ या हानि -			
			i धारा 44कघ (अनुसूची लाभ हानि का 61(ii))	35i		
			ii धारा 44कघक (अनुसूची लाभ हानि का 62 (ii))	35ii		
			iii धारा 44कङ (अनुसूची लाभ हानि का 63(ii))	35iii		
			iv धारा 44ख	35iv		
			v धारा 44खख	35v		
			vi क धारा 44खखक	35vi क		
			vi ख धारा 44खखग	35vi ख		
			vii धारा 44घक	35vii	(प्ररूप उ ग ङ की मद ग)	
			viii कुल (35i से 35vii)		35viii	
		36	सट्टा के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (34 + 35viii)		36	
		37	सट्टा कारबार से भिन्न कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि और नियम 7 का, 7 ख लागू हाने के पश्चात विनिर्दिष्ट कारबार यदि लागू है (यदि नियम 7 क, ख लागू नहीं है, तो 40 के अनुसार वही अंक भरे) (यदि हानि है तो मद 5 का 2 i से अंक लें) (37क + 37ख + 37ग + 37घ + 37ङ + 37च)		क 37	
			क नियम 7 के अधीन प्रभार्य आय	37क		
			ख नियम 7क के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	37ख		
			ग नियम 7ख(1) के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	37ग		
			घ नियम 7ख (1क) के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	37घ		
			ङ नियम 8 के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	37ङ		
			च नियम 7क, 7ख और नियम 8 से भिन्न आय (मद सं. 40)	37च		
		38	वित्त अधिनियम के अनुसार आय के संकलन के उद्देश्य के लिए नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और नियम 8 को लागू के पश्चात्, कृषि से समझी गई आय का अतिशेष [4ख-(37क+ 37ख + 37ग+ 37घ + 37ङ.)]		38	
	आ		सट्टा के कारबार से आय की संगणना			
		39	लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टा के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (मद सं. 2क)		39	
		40	धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन		40	
		41	धारा 28 से 44घक के अनुसार कटौतियां		41	
		42	अनुमानित कारबार से आय (39 + 40 - 41) (यदि हानि है तो अनुसूची ग च ठ के 6xi से अंक लें)		ख 42	
	इ		धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से आय की संगणना			
		43	लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि		43	
		44	धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन		44	
		45	धारा 28 से धारा 44घक के अनुसार कटौतियां ((i) धारा 35कङ, (ii) धारा 32 या 35 के अधीन कटौती से भिन्न, जिस कटौती का दावा धारा 35कङ के अधीन किया गया है)		45	
		46	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (43 + 44 - 45)		46	

		47	धारा 35कघ(1) के अनुसार कटौतियाँ	47	
		48	अनुमानित कारबार से आय (46 - 47) (यदि हानि है तो अनुसूची सीएफएल के 7xi से अंक लें)	ग48	
		49	धारा 35कछ की उपधारा (5) के ऐसे सुसंगत खंड, जिसमें विनिर्दिष्ट कारबार भी सम्मिलित है (ड्रॉप डाऊन मेन्यू से चयनित की जाए)	ग49	
	उ	कारबार वृत्तिक से लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (क 37+ ख 42+ ग 48)			उ
	ऊ	चालू वर्ष की कारबार हानि का अन्तः मुजराई शीर्ष			
	क्र.सं.	कारबार आय का प्रकार	चालू वर्ष की आय (यह स्तंभ तभी भरे जब अंक शून्य या सकारात्मक है)	मुजरा की गई कारबार हानि	मुजरा होने के पश्चात शेष कारबार आय
			(1)	(2)	(3)=(1) - (2)
	i	मुजरा किए जाने के लिए हानि (इस पंक्ति को केवल तब भरे यदि अंक नकारात्मक है)		(क 37)	
	ii	अनुमानित कारबार से आय	(ख 42)		
	iii	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(ग 48)		
	iv	मुजरा की गई कुल हानि (ii + iii)			
	v	मुजरा होने के बाद शेष हानि (i - iv)			
टिप्पण		कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें			

अनुसूची - संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण		संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय किसी अन्य धारा के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)			
संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण	1	संयंत्र और मशीनरी			
	2	15	30	40	45
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	3 क	पूर्ववर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य			
	3 ख	धारा 115खकग की उपधारा (3) के दूसरे उपबंध के अनुसार समायोजन (नियम 5 के प्रतिनिर्देश)			
	3	कुल (3क) + (3ख)			
	4	पूर्ववर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन			
	5	3ख या 4 में से पूर्ववर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन			
	6	रकम, जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (3ख+4-5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)			
	7	पूर्ववर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन			
	8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन			
	9	रकम, जिस पर अवक्षयण आधी दर से अनुज्ञेय होगा (7-8) (यदि परिणाम ऋणात्मक है, तो शून्य लिखें)			
	10	6 पर पूरी दर से अवक्षयण			
	11	9 पर आधी दर से अवक्षयण			

12	4 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
13	7 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
14	आस्ति, जिसका 180 दिन से कम प्रयोग किया गया है, पर ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में अतिरिक्त अवक्षयण				
15	कुल अवक्षयण (10+11+12+13+14)				
16	आय-कर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अनुज्ञात अवक्षयण (स्तम्भ 15 में से)				
17	शुद्ध संकलित अवक्षयण (15-16)				
18	उत्तरवर्तन, समामेलन, निर्विलयन, आदि की दशा में अनुज्ञेय आनुपातिक कुल अवक्षयण (स्तम्भ 17 के अलावा)				
19	आस्ति/आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय				
20	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5 + 8 - 3ख - 4 - 7 - 19) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं रहता है)				
21	पूर्ववर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+ 9 -15) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				

अनुसूची - अन्य आस्तियों पर अवक्षयण			अन्य आस्तियों पर अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न, जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)						
अन्य आस्तियों पर अवक्षयण	1	आस्तियों का ब्लाक	भूमि	भवन (जिसके अन्तर्गत भूमि नहीं है)			फर्नीचर और फिटिंग	अमूर्त आस्तियां	पोत
	2	दर (%)	कुछ नहीं	5	10	40	10	25	20
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
	3	पूर्ववर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य							
	4	पूर्ववर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन							
	5	3 या 4 में से पूर्ववर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन							
	6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा(3+4-5) (यदि परिणाम ऋणात्मक है तो शून्य लिखें)							
	7	पूर्ववर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन							
	8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन							
	9	रकम, जिस पर आधी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
	10	6 पर पूरी दर से अवक्षयण							
	11	9 पर आधी दर से अवक्षयण							
	12	कुल अवक्षयण (10+11)							
	13	आय-कर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अनुज्ञात अवक्षयण (स्तम्भ 12 में से)							
	14	शुद्ध संकलित अवक्षयण (12-13)							
15	उत्तरवर्तन, समामेलन, निर्विलयन, आदि की दशा में अनुज्ञेय आनुपातिक कुल अवक्षयण (स्तम्भ 14 में से)								

16	आस्ति/आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय							
17	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/ हानि (5 + 8 - 3 - 4 -7 -16) (केवल तभी नकारात्मक लिखें, यदि ब्लॉक नहीं हैं)							
18	पूर्ववर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य (6+ 9 -12) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							

अनुसूची - आस्तियों पर अवक्षयण का सार

आस्तियों पर अवक्षयण का सार (किसी अन्य धारा के अधीन उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

आस्तियों पर अवमूल्यन का सार

1	संयंत्र और मशीनरी					
	क	15% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17i या 18i यथालागू)	1क			
	ख	30% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17ii या 18ii यथालागू)	1ख			
	ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17iii या 18iii यथालागू)	1ग			
	घ	45% की दर से मूल्यहास के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम- 17iv अथवा 18iv, यथालागू)	1घ			
	ङ	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग+1घ)			1ङ	
2	भवन (जिसके अन्तर्गत भूमि नहीं है)					
	क	5% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14ii या 15ii यथालागू)	2क			
	ख	10% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iii या 15iii यथालागू)	2ख			
	ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची आस्तियों पर अवक्षयण 14iv या 15iv यथालागू)	2ग			
	घ	भवन पर कुल अवक्षयण (योग (2क + 2ख + 2ग))			2घ	
3	फर्नीचर और फिटिंग (अनुसूची डीओए 14v या 15v यथालागू)					3
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए 14vi या 15vi यथालागू)					4
5	पोत (अनुसूची डीओए 14vii या 15vii यथा लागू)					5
6	कुल अवक्षयण (1ङ + 2घ + 3 + 4 + 5)					6

अनुसूची अवक्षणीय आस्तियों के विक्रय पर समझा गया पूंजी अभिलाभ		अवक्षयण योग्य आस्तियों के विक्रय पर माने गए पूंजी अभिलाभ						
	1	संयंत्र और मशीनरी						
		क	15% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20i)	1क				
		ख	30% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20ii)	1ख				
		ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20iii)	1ग				

	घ	45% की दर से मूल्यहास के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम- 20iv)	1घ		
	ङ	कुल (1क+1ख+1ग+1घ)		1ङ	
2	भवन (जिसके अन्तर्गत भूमि नहीं है)				
	क	5% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची - संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण 17ii)	2क		
	ख	10% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची - संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण 17iii)	2ख		
	ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची - संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण 17iv)	2ग		
	घ	योग (2क+2ख+2ग)		2घ	
3	फर्नीचर और फिटिंग (अनुसूची - संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण 17v)				3
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीईए 17vi)				4
5	पोत (अनुसूची - संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण 17vii)				5
6	कुल (1ङ+2घ+3+4+5)				6

अनुसूची इ.एस.आर		वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर व्यय (धारा 35 या 35गगग या 35गगघ के अधीन कटौती)			
क्र. सं.	धारा में निर्दिष्ट प्रकृति का व्यय	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो	अनुज्ञेय कटौती की रकम	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय कटौती	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3) - (2)	
i	35(1)(i)				
ii	35(1)(ii)				
iii	35(1)(iik)				
iv	35(1)(iii)				
v	35(1)(iv)				
vi	35(2अअ)				
vii	35(2अआ)				
Viii	35गगग				
ix	35गगघ				
x	योग				
टिप्पण▶		धारा 35(1)(ii) या धारा 35(1)(iik) या धारा 35(1)(iii) या धारा 35(2कक) के अधीन की गई कटौती की दशा में (कृपया अनुसूची आरए के अनुसार ब्यौरे उपलब्ध कराएं)			

अनुसूची पूंजी अभिलाभ		पूँजी अभिलाभ		
पूँजी अभिलाभ	अ	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (एसटीसीजी) (अनिवासियों के लिए उपमद 4 और 5 लागू नहीं)		
	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथकतः ब्यौरे भरें)		
	अभिलाभ	क्रय/अधिग्रहण की तारीख	तारीख/मास/वर्ष	विक्री/स्थानांतरण की तारीख
		क	i	प्राप्त/प्राप्त्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य
			ii	स्टॉक मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य
			का	
			काii	

			iii	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य [(कii) के 1.10 गुणा से अधिक न होने की दशा में (कi), इन अंकों को (कi) के रूप में ले या अन्यथा (कii) लें]	कiii			
			ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ				
			i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	खi			
			ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	खii			
			iii	अंतरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	खiii			
			iv	योग (खi + खii + खiii)	खiv			
			ग	शेष (कiii - खiv)	1 ग			
			घ	धारा 54ख/54छ/54झक के अधीन कटौतियाँ (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	1 घ			
			ङ	स्थावर संपत्ति पर अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)			क 1 ड	
			च	स्थावर संपत्ति के अंतरण की दशा में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (टिप्पण दें)				
				क्रम सं.	क्रेताओं का नाम	क्रेताओं का पैन/ आधार संख्या	प्रतिशत शेयर	रकम
								संपत्ति का पता
								पिन कोड
				टिप्पण ►	यदि कर की कटौती धारा 194झक के अधीन की गई है, तो पैन/ आधार संख्या प्रस्तुत करना आज्ञापक है। एक से अधिक क्रेताओं की दशा में कृपया संबंधित प्रतिशत शेयर और रकम उपदर्शित करें।			
			2	गिरावट विक्रय से				
			क	i नियम 11पकड(2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2कi			
				ii नियम 11पकड(3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2कii			
			iii	प्रतिफल का उचित मूल्य (का या कii में से उच्चतर)	2कiii			
			ख	उपक्रम या प्रभाग की निबल संपत्ति	2ख	(प्ररूप आडक का 6(ङ))		
			ग	गिरावट विक्रय से अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (2 कiii - 2 ख)			क2ग	
			3	ईक्यूटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख ईक्यूटी की इकाई से, या कारबार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii) के परन्तुक (ऊll के लिए) के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है (जहां क4 लागू नहीं है)	जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व हुआ है	जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् हुआ है		
			क	प्रतिकर का पूर्ण मूल्य	3 क			
			ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ				
			i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i			
			ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii			
			iii	अंतरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iii			
			iv	योग (खi + खii + खiii + खiv)	ख iv			
			ग	शेष (3क - खiv)	3 ग			
			घ	धारा 94(7) या 94(8) के अधीन हानि अनुज्ञात की जाने वाली हानि -उदाहरण के लिए यदि अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर आस्ति क्रय या अर्जित की जाती है और लाभान्श/आय/ बोनस यूनिटें प्राप्त की जाती है, तब ऐसी आस्ति से विक्रय उद्भूत हानि की उपेक्षा की जाए (केवल सार्थक मूल्य भरें)	3घ			

			ड	साम्या शेयर या साम्या उन्मुख ड च (संदत एसटीटी) पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (3 ग +3 घ)	3ड		3डii	क3ड	
		4	अनिवासी के लिए जो एफआईआई नहीं है। - किसी भारतीय कंपनी के शेयरों या लाभांश की बिक्री से (धारा 48 के पहले परन्तुक के अधीन विदेशी विनिमय के साथ गणना की जाये)						
			क	धारा 111क के अधीन आने वाले संव्यवहारों पर एसटीसीजी (अ4क + अ4कii)				अ4क	
				i) जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व हुआ है				अ4कi	
				ii) जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् हुआ है				अ4कii	
			ख	क्रम सं. 4 में नहीं आने वाले शेयरों के विक्रय या बंधपत्रों के विक्रय पर एसटीसीजी				अ4ख	
		5	अनिवासियों के लिए - धारा 115कघ के अनुसार किसी एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों (ऊपर अ3 पर से भिन्न) के विक्रय से						
			क	i	प्रतिभूतियों के विक्रय की दशा में किए गए शेयरों से भिन्न, जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित व्यौरे प्रविष्ट करें :-				
			क	कोट न किए जाने वाले शेयरों की प्राप्त/प्राप्य प्रतिकर	i				
			ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	ix				
			ग	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए जाने वाले शेयरों की बाबत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)	ig				
			ii	अधिक कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों की बाबत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	ii				
			iii	कुल (ig + ii)	क iii				
			ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां					
			i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i				
			ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii				
			iii	अंतरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iii				
			iv	योग (खा + खii + खiii)	ख iv				
			ग	शेष (5कiii - खiv)	5 ग				
			घ	धारा 94(7) या 94(8) के अधीन हानि अननुज्ञात की जाने वाली हानि - उदाहरण के लिए यदि अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर आस्ति क्रय या अर्जित की जाती है और लाभांश/आय/बोनस यूनिट प्राप्त की जाती है तब ऐसी आस्ति से विक्रय उदभूत हानि की उपेक्षा की जाए (केवल सार्थक मूल्य भरें)	5 घ				
			ड	एफ ii द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (ऊपर अ3 से भिन्न) 5ग+5 घ)				क 5	
		6	ऊपर क1 या क2 या क3 या क4 या क5 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से						
			क	i	आस्तियों के विक्रय की दशा में कोट किए गए शेयरों से भिन्न जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित व्यौरे प्रस्तुत करें				
			क	कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्राप्त/ प्राप्य प्रतिकर का पूर्ण मूल्य	i				
			ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	ix				

				ग	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग क के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)	ig					
				ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii					
				iii	कुल (ig + ii)	क iii					
			ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां							
				i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii					
				ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख iii					
				iii	अंतरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iv					
				iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख v					
			ग	शेष (6कiii - खiv)		6 ग					
			घ	धारा 94(7) या 94(8) के अधीन हानि अननुज्ञात की जाने वाली हानि -उदाहरण के लिए यदि प्रतिभूति अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर आस्ति खरीदी या अर्जित की जाती है और लाभ/आय/बोनस यूनिट प्राप्त की जाती है तब ऐसी प्रतिभूति से विक्रय उदभूत हानि की उपेक्षा की जाए (केवल सार्थक मूल्य भरें)		6 घ					
			ङ	अवक्षयण योग्य आस्तियों पर समझा गया अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (अनुसूची डीओसीजी का 6)		6ङ					
			च	धारा 54छ/54छक के अधीन कटौतियां		6च					
			छ	ऊपर क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों पर एस टी सी जी (6ग + 6घ + 6ङ - 6च)						क 6छ	
			7	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि							
			क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है ? ☐ हाँ ☐ नहीं ☐ लागू नहीं है, यदि हाँ, तो व्यौरें उपलब्ध कराएं							
				क्रम संख्या	पूर्ववर्ष, जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा, जिसके अधीन उक्त वर्ष में कटौती का दावा किया गया है	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (x) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि			
				i	2021-22	54छ/54छक	पूर्ववर्ष, जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है	पूँजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई अधिक राशि			
				ii	2022-23	54ख/54छ/54छक					
				iii	2023-24	54ख/54छ/54छक					
			ख	धारा 54ख/54छ/54छक के अधीन समझे गए अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ, से भिन्न							
				समझे गए अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की कुल राशि (कxi+ कxii + कxiii +ख)						क7	
			8	अल्पकालिक पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, (अनुसूची पीटीआई भरें) (अ8का+अ8कii+अ8ख+अ8ग)						क8	
				का	अल्पकालिक पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, 15% की दर से प्रभावी		क8का				

				कii	अल्पकालिक पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, 20% की दर से प्रभार्य				क8कii								
				ख	अल्पकालिक पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, 30% की दर से प्रभार्य				क8ख								
				ग	अल्पकालिक पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास लागू दरों पर प्रभार्य				क8ग								
			9	एसटीसीजी की रकम जो क1-क8 में सम्मिलित है, परंतु डीटीए के अनुसार कर के लिए दावाकृत प्रभार्य या विशेष दरों पर प्रभार्य नहीं है													
				क्रम संख्या	आय की रकम	ऊपर मद सं. अ1 से अ8, जिसमें सम्मिलित हैं	देश का नाम और कोड	डी डीटी ए के वस्तु	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं है, तो शून्य प्रविष्ट करें)	यदि टी आर सी प्राप्त हो	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर [(6) या (9) में से निम्नतर]				
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
				I													
				II													
				क	डीटीए के अधीन एसटीसीजी दावाकृत प्रभार्य कर की कुल राशि							अ9क					
				ख	डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर कर से दावाकृत प्रभार्य एसटीसीजी की कुल रकम							अ9ख					
				अ(अ)	1 अक्तूबर, 2024 को या उसके पश्चात् शेयरों के पुनः क्रय पर पूंजीगत हानि [अल्पकालिक पूंजीगत हानि 20%/30%/लागू दर] (केवल तभी दावा किया जा सकता है जब संबंधित डिविडेंट आय धारा 2 (22च) के अधीन प्रस्तावित है)							अ(अ)					
			10	कुल अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (अ1ड+अ2ग+अ3ड+अ4क+अ4ख+अ5ड+अ6छ+अ7+अ8-अ9क+अ(अ))							अ10						
	आ	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (एलटीसीजी) (उपमद 6, 7, 8 और 9 निवासियों के लिए लागू नहीं है)															
		1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए क से च तक पृथकतः व्यौरे भरें)														
			क्रय/अधिग्रहण की तारीख				तारीख/वर्ष/मास			विक्रय/अंतरण की तारीख		तारीख/वर्ष/मास					
			क	i	प्राप्त/ प्राप्य प्रतिकर का पूर्ण प्रतिफल						कां						
				ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य						कांii						
				iii	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य [(कांii) के (कां) से गुणा न होने की दशा में इस संख्या को 1.10 (कां) के रूप में ले या अन्यथा (कांii) लें]						कांiii						
			ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां													
				i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत						खां						
				ii	सूचीकरण के साथ अर्जन की लागत (केवल निम्न के लिए लागू : (क) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व अंतरणों को, या (ख) धारा 112(1)(क) के दूसरे परंतुक के अधीन संगणन संबंधी प्रयोजनों के लिए निवासियों को, जहां ऐसा अर्जन और अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया जाता है						खांii						

			ii ख	सुधार की कुल लागत	ख				
				(क) सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	खा+ख(क)				
				(ख) सुधार वर्ष					
				(ग) सूचीकरण के साथ सुधार लागत ख और ग केवल निम्नलिखित के लिए लागू : (क) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व अंतरण, या (ख) धारा 112(1)(क) के दूसरे परंतुक के अधीन संगणन संबंधी प्रयोजनों के लिए निवासियों को जहां ऐसा अर्जन और अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया जाता है) पंक्ति जोड़ें	खा+ख(ग)				
			iii	अंतरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य रूप से व्यय	खा+iii				
			iv	योग (जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व हुआ है खा+क+ $\sum$ खा+ख(ग)+ खा+iii); जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् हुआ है खा+ $\sum$ खा+ख(क)+ खा+iii)	खा+iv				
			ivक	कुल केवल डांख की संगणना करने हेतु डांख iv की संगणना करने के प्रयोजन (खा+क+ $\sum$ खा+ख(ग)+खा+iii (धारा 112(1)(क) के दूसरे परंतुक के अधीन संगणना संबंधी प्रयोजनों के लिए नागरिकों को लागू जहां ऐसा अर्जन 23 जुलाई, 2024 के पूर्व हुआ है और अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया जाता है)	खा+ivक				
		ग	शेष (का+iii -खा+iv)			1ग			
		गक	शेष (का+iii -खा+ivक) (धारा 112(1)(क) के दूसरे परंतुक के अधीन संगणना संबंधी प्रयोजनों के लिए नागरिकों को लागू जहां ऐसा अर्जन 2024 ,जुलाई 23 के पूर्व हुआ है और अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया जाता है) (केवल डांख की संगणना के प्रयोजन के लिए)			1ग+			
		घ	धारा 54/54ख/54घ/54ङग/54च/54छ /54छक के अधीन कटौतियाँ (नीचे मद घ में ब्यौरें विनिर्दिष्ट करें)			1घ			
		ङ	स्थावर संपत्ति पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (1ग - 1घ)					ख 1 ङ	
		ङक	स्थावर संपत्ति पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (1गक - 1घ) (धारा 112(1)(क) के दूसरे परंतुक के अधीन संगणना संबंधी प्रयोजनों के लिए नागरिकों को लागू जहां ऐसा अर्जन 23 जुलाई, 2024 के पूर्व हुआ है और अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया जाता है) (केवल डांख की संगणना के प्रयोजन के लिए) (नकारात्मक होने पर शून्य माना जाएगा)				ख1ङक		
		डां	जहां अर्जन 23 जुलाई, 2024 के पूर्व हुआ है और अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया जाता है (केवल निवासियों के लिए) क. 112(1)(क)(ii)(ख) के अनुसार कर (1ङ*12.5%) (ख) धारा 112(1)(क) के दूसरे परंतुक के प्रयोजन के लिए कर (1ङक*20%) (टिप्पण- (डां) पर संगणित कर 'डां' में अधिक रकम पर हिसाब में न लिया जाए' का अवधारण करने के लिए है।				ख1डां(क) ख1डां(ख)		
		डांii	अधिक रकम, यदि कोई है, जो (केवल निवासियों के लिए) धारा 112(1)(क) के दूसरे परंतुक के अनुसार हिसाब में नहीं ली जानी है) [ख1डां(क)- ख1डां(ख)]				ख1 डांii		
		च	स्थावर संपत्ति को अंतरण की दशा में, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (देखें टिप्पण)						
		क्रम सं.	क्रेताओं का नाम	क्रेताओं का पैन/ आधार संख्या	प्रतिशत शेयर	रकम	संपत्ति का पता	पिन कोड एवं राज्य	

		टिप्पण ▶	यदि कर की कटौती धारा 194 झक के अधीन की गई है, तो पैन/आधार संख्या प्रस्तुत करना आज्ञापक है, । एक से अधिक क्रेताओं की दशा में कृपया संबंधित प्रतिशत शेयर और रकम उपदर्शित करें ।				
		छ	स्थायर संपत्ति पर कुल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (Σख1ड) जहां अंतरण				
		(क)	23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया था (23 जुलाई, 2024 से पूर्व अंतरित सभी संपत्तियों पर पूंजीगत लाभ का जोड़)				
		(ख)	23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया गया था (23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् अंतरित सभी संपत्तियों पर पूंजीगत लाभ का जोड़)				
		(ग)	अनदेखी किए जाने वाला कुल अधिक कर (Σख1डii)				
		2	गिरावट विक्रय से		जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया था (i)	जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया गया था (ii)	
		क	i नियम 11पकड(2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2का			
			ii नियम 11पकड(3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2काii			
			iii प्रतिफल का उचित मूल्य (कां या कां में से उच्चतर)	2काiii			
		ख	उपक्रम या प्रभाग की निबल संपत्ति	2ख	(ग्रुप आडक का 6(ड))	(ग्रुप आडक का 6(ड))	
		ग	शेष (2काiii - 2 ख)	2ग			
		घ	धारा 54डग/54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	2घ			
		ड	गिरावट विक्रय से दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (2ग - 2घ)	ख2ड	ख2डi	ख2डii	
		3	निवासियों से गैरसूचीबद्ध बंधपत्रों या गैरसूचीबद्ध डिबेंचर के विक्रय से (सरकार द्वारा जारी पूंजीगत सूचीकृत बंधपत्रों से भिन्न) (केवल वहां लागू जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था)				
		क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य		3क		
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां				
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत		खाi		
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत		खाii		
		iii	अंतरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय		खाiii		
		iv	योग (खाi+खाii+खाiii)		खाiv		
		ग	शेष (3क - खाiv)		3ग		
		घ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)		3घ		
		ड	बंधपत्र या डिबेंचर पर एलटीसीजी (3ग - 3घ)				ख3ड
		4(i)	धारा 112(1) के अनुसार सूचीबद्ध प्रतिभूतियों (किसी यूनिट से भिन्न) या जीरो कूपन बंधपत्रों के विक्रय से		जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया था	जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया गया था	
		क	प्रतिकर का पूर्ण मूल्य	4क			
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां				
		i	सूचीकरण के साथ अर्जन की लागत	खा			

				i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत (जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया था, केवल धारा 112(1) के परंतुक के अनुसार अनदेखी किए जाने वाले अधिक कर की संगणना के प्रयोजनों के लिए लागू)	खांक			
				ii	सूचीकरण के साथ सुधार की लागत	खांii			
				ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत (जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया था, केवल धारा 112(1) के अनुसार अनदेखी किए जाने वाले अधिक कर की संगणना के प्रयोजनों के लिए लागू)	खांii			
				iii	अंतरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	खांiii			
				iv	योग (जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया था, खा + खांii + खांiii) (जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया गया था, खांक + खांii + खांiii)	खाiv			
				iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	खाivक			
				ग	शेष (4क - खाiv)	4ग			
				गक	शेष (4क - खाivक) (धारा 112(1) के परंतुक के अनुसार अनदेखी किए जाने वाले अधिक कर की संगणना के प्रयोजनों के लिए) (वहां लागू, जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया था)	4गक			
				घ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में व्यौरें विनिर्दिष्ट करें)	4घ			
				ड	ऊपर आ4 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (4ग - 4घ) (i) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व (ii) अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात्	आ4(i)ड आ4(i)डां आ4(i)डii			
				डक	ऊपर आ4 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ, जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया था (4गक - 4घ) (धारा 112(1) के परंतुक के अनुसार अधिक कर की संगणना के प्रयोजनों के लिए)				
				च	धारा 112(1)(क)(ii)(अ) या 112(1)(ग)(ii)(अ) के अनुसार कर [सूचीकरण के साथ 20% से एलटीसीजी] [आ4(ड)*20%] (वहां लागू, जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया था)	आ4(i)च			
				छ	धारा 112(1) के परंतुक के अनुसार कर [सूचीकरण के बिना 10% से एलटीसीजी] [आ4(डक)*10%] (वहां लागू, जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया था)	आ4(i)छ			

			अधिक राशि, जिसकी धारा 112(1) के परंतुक के अनुसार अनदेखी करनी है [आ4(च) - आ4(छ)] (वहां लागू, जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया था)	आ4(i)ज		
	4(ii)	धारा 115कगक में निर्दिष्ट किसी भारतीय कंपनी की जीडीआर के विक्रय से (केवल निवासी व्यष्टियों के लिए लागू)	जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया था (i)	जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया गया था (ii)		
	क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	4क			
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां				
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	खा			
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	खii			
	iii	अंतरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	खiii			
	iv	योग (खा+खii+खiii)	खiv			
	ग	शेष (3क - खiv)	4ग			
	घ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में व्यौरें विनिर्दिष्ट करें)	4घ			
	ङ	ऊपर आ3 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ, जहां अंतरण (3ग - 3घ) (i) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था (ii) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था	आ4(ii)ङ आ4(ii)ङा आ4(ii)ङii			
	5	किसी कंपनी में साम्या शेयरों के विक्रय या साम्या उन्मुख निधि की यूनिटों या किसी कारबार न्यास की यूनिट का विक्रय, जिसमें धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है				
	क	धारा 112क के अधीन एलटीसीजी [अनुसूची 112क का स्तंभ 14(iii)]	5क			
	i.	स्तंभ 14 की रकम, जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था	5का			
	ii.	स्तंभ 14 की रकम, जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था	5काii			
	ख	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में व्यौरें विनिर्दिष्ट करें) i. जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था ii. जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया गया था	5ख 5खा 5खii			
	ग	i. ऊपर आ5 पर पूंजी आस्तियों के विक्रय पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ, जहां अंतरण (5क - 5ख) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था ii. 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया गया था		आ5ग आ5गा आ5गाii		
	6	अनिवासियों के लिए - भारतीय कंपनी के शेयरों या डिबेंचर के विक्रय से (धारा 48 के पहले परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ गणना की जाए)				
	क	सूचीकरण फायदे के बिना गणना की गई एलटीसीजी, जहां अंतरण, i. जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था - सूचीबद्ध डिबेंचर ii. जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था - सूचीबद्ध डिबेंचर से भिन्न iii. जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था (केवल असूचीबद्ध शेयर या सूचीबद्ध डिबेंचर)	6क 6का 6काii 6काiii			

				धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)					
				ख i. जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था - सूचीबद्ध डिबेंचर ii. जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था - सूचीबद्ध डिबेंचर से भिन्न iii. जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था (केवल असूचीबद्ध शेयर या सूचीबद्ध डिबेंचर)	6ख 6खi 6खii 6खiii				
				ग शेयर या डिबेंचर पर एलटीसीजी (6क - 6ख) i. जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था - सूचीबद्ध डिबेंचर ii. जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था - सूचीबद्ध डिबेंचर से भिन्न iii. जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था (केवल असूचीबद्ध शेयर या सूचीबद्ध डिबेंचर)		आ6ग आ6गा आ6गii आ6गiii			
				7 अनिवासियों के लिए - (i) धारा 112(1)(ग) के अनुसार गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों, (ii) धारा 115कग में निर्दिष्ट बंधपत्रों या ग्लोबल निक्षेपागार रसीदों, (iii) धारा 115कघ में यथानिर्दिष्ट एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों (धारा 112 में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों से भिन्न, जिसके लिए स्तंभ ख8 भरा जाना चाहिए।) के विक्रय से टिप्पण : क्रम संख्यांक (iii) के लिए, अंतरण की तारीख के आधार पर आय का विभाजन अपेक्षित नहीं है।	जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया था (i)	जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया गया था (ii)			
				क i प्रतिभूतियों के विक्रय की दशा में कोट किए गए शेयरों से भिन्न जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें					
				क कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्राप्त/प्राप्य प्रतिकर का पूर्ण मूल्य	क				
				ख विहित रीति में अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	ख				
				ग पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)	ग				
				ii कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	कii				
				iii कुल (ग + ii)	कiii				
				ख धारा 48 के अधीन कटौतियां					
				i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	खi				
				ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	खii				
				iii अंतरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	खiii				
				iv योग (खi + खii + खiii)	खiv				
				ग शेष (कiii - खiv)	7ग				
				घ धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	7घ				

			अनिवासियों की दशा में, ऊपर 7 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (7ग - 7घ)				
		ड	i. जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था [7(i) और 7(ii) के लिए लागू] ii. जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था [7(i) और 7(ii) के लिए लागू] iii. धारा 115कघ में निर्दिष्ट एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय से		आ7ड आ7डiii आ7डii आ7डiii		
		8	एफआईआई/एफपीआई (अनिवासियों) के लिए - किसी कारबार न्यास के किसी कंपनी में साम्य शेयरों या किसी साम्य उन्मुक्त निधि के यूनितों या किसी न्यास की यूनितों का विक्रय, जिस पर धारा 115कघ के साथ पठित धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है।				
		क	धारा 112क के अधीन एलटीसीजी [115कघ(1)(ख)(iii) परंतुक का स्तंभ 14(iii)] (8का+8काii)	8क			
		i.	स्तंभ 14 की रकम, जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था	8का			
		ii.	स्तंभ 14 की रकम, जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था	8काii			
		ख	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में व्योरे विनिर्दिष्ट करें) i. 23 जुलाई, 2024 से पूर्व ii. 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात्	8ख 8खा 8खii			
		ग	ऊपर आ8 पर पूंजी आस्तियों के विक्रय से दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (8क - 8ख), जहां अंतरण i. 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था [8(i) और 8(ii) के लिए लागू] ii. 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था [8(i) और 8(ii) के लिए लागू]		आ8ग आ8गा आ8गाii		
		9	अनिवासी भारतीय द्वारा विदेशी मुद्रा आस्ति के विक्रय से (यदि अध्याय 12क के अधीन विकल्प दिया गया है)				
		क	(धारा 115च के अनुसार) के विक्रय पर एलटीसीजी (सूचीकरण के बिना गणना किया गया) जहां अंतरण	9क			
		i.	23 जुलाई, 2024 से पूर्व था	9का			
		ii.	23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था	9काii			
		ख	धारा 115च के अधीन कटौती घटाए (नीचे मद घ में व्योरे विनिर्दिष्ट करें)	9ख			
		i.	23 जुलाई, 2024 से पूर्व था	9खा			
		ii.	23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था	9खii			
		ग	विदेशी मुद्रा आस्ति के विक्रय पर शेष एलटीसीजी (9क - 9ख), जहां अंतरण				आ9ग
		i.	23 जुलाई, 2024 से पूर्व	आ9गा			
		ii.	23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात्	आ9गाii			

10	आस्तियों के विक्रय से, जहां ऊपर आ1 से आ9 तक लागू नहीं है			जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया था (i)		जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया गया था (ii)		
	क	i	आस्तियों के विक्रय की दशा में कोट किए गए शेयरों से भिन्न, जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित व्यौरे प्रस्तुत करें					
		क	कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्राप्त/ प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क				
		ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	ख				
		ग	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग क के अनुसार अंगीकृत कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)	ग				
	ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य		कii				
	iii	कुल (ग + ii)		क iii				
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां					
		i	23 जुलाई, 2024 से पूर्व के अंतरण के लिए सूचीकरण के साथ, तथा 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् के अंतरण के लिए सूचीकरण के बिना, अर्जन की लागत	खi				
		ii	23 जुलाई, 2024 से पूर्व के अंतरण के लिए सूचीकरण के साथ, तथा 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् के अंतरण के लिए सूचीकरण के बिना, सुधार की लागत	खii				
		iii	अंतरण के संबंध में पूर्ण एवं अनन्य रूप से व्यय	खiii				
		iv	योग (खi + खii + खiii)	खiv				
	ग	शेष (10कiii - खiv)		10ग				
	घ	धारा 54घ/54च/54छ/54झ के अधीन कटौती (मद घ में व्यौरें विनिर्दिष्ट करें)		10घ				
	ङ	ऊपर आ10 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (10ग - 10घ)		आ10ङ	आ10ङi	आ10ङii		
11	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि							
क	क्या नीचे दिखाये गए पूर्ववर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है ? ☐ हाँ ☐ नहीं ☐ लागू नहीं होता, यदि हाँ, तो व्यौरा उपलब्ध करायें							
	क्रम संख्या	पूर्ववर्ष, जिसमें आस्तियां अंतरित की गई हैं	धारा, जिसके अधीन उस वर्ष में कटौती का दावा किया गया	नई आस्तियां अर्जित/ निर्मित की गई हैं		नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाते में उपयोग की गई रकम	क्या परिसीमा/ निकासी की तारीख 23 जुलाई, 2024 से पूर्व थी	
				पूर्ववर्ष, जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई हैं	पूंजी अभिलाभ खाते में से उपयोग की गई रकम			

			II															
			क	डीटीए के अधीन कर से प्रभार्य नहीं दावाकृत एलटीसीजी की कुल रकम												ख13क		
			ख	डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर कर से प्रभार्य दावाकृत एलटीसीजी की कुल रकम												ख13ख		
	आ (अ)			1 अक्तूबर, 2024 को या उसके पश्चात् वापस क्रय किए गए शेयरों पर पूंजी हानि (12.5%/ अनिवासियों के लिए धारा 115कघ के अधीन आने वाले संव्यवहारों के लिए 10% की दर से दीर्घकालिक पूंजी हानि) (केवल तभी दावा किया जा सकता है, जब संबंधित लाभांश आय धारा 2(22)(च) के अधीन प्रस्तावित की जाती है)												आ(अ)		
		14	आय-कर अधिनियम के अधीन प्रभार्य कुल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ [आ1ड + आ2ड + आ3ड + आ4iड + आ4iiड + आ5च + आ6ग + आ7ड + आ8च + आ9ग + आ10ड + आ11 + आ12 - आ13क+आ(अ)]												ख14			
	ग1	पूंजी अभिलाभ आय की राशि (नीचे सारणी उ का 11ii + 11iii + 11iv + 11v + 11vi + 11vii + 11viii + 11ix + 11x)													ग			
	ग2	आभासी डिजिटल आस्ति के अंतरण से आय (अनुसूची वीडि की मद सं. ख)													ग2			
	ग3	“पूंजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (ग1 + ग 2)													ग3			
	घ	पूंजी अभिलाभ के विरुद्ध दावाकृत कटौती के बारे में सूचना																
		1	धारा 54/54 ख /54 घ/ 54इग /54 च /54 छ/54 छक /54छ ख /115 च के अधीन कटौती के मामले में निम्नलिखित व्यौरे दें															
			क	धारा 54 के अधीन दावाकृत कटौती														
			i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख						क i	दिन/मास/वर्ष							
			ii	नये आवासीय घर की लागत						क ii								
			iii	नए आवासीय घर के क्रय /विनिर्माण की तारीख						क iii	दिदि/मामा/ वाईवाईवाईवाई							
			iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम						क iv								
			ivक	निक्षेप की तारीख		ivख लेखा संख्याक				ivग	आईएफएस कोड							
				दिदि/मामा/वाईवाईवाईवाई														
			v	दावाकृत कटौती की रकम						क v								
		ख	धारा 54ख के अधीन दावाकृत कटौती															
			i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख						ख i	दिदि/मामा/ वाईवाईवाईवाई							
			ii	नई कृषि भूमि की लागत						ख ii								
			iii	नई कृषि भूमि के क्रय की तारीख						ख iii	दिदि/मामा/ वाईवाईवाईवाई							
			iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम						ख iv								
				ivक जमा की तारीख		ivख लेखा संख्याक				ivग	आईएफएस कोड							
				दिदि/मामा/ वाईवाईवाईवाई														
			v	दावाकृत कटौती की रकम						ख v								
		ग	धारा 54घ के अधीन दावाकृत कटौती															
			i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख						ग i	दिदि/मामा/ वाईवाईवाईवाई							
			ii	औद्योगिक उपक्रम के लिए नए भूमि या भवन के क्रय / विनिर्माण की लागत						ग ii								
			iii	नए भूमि या भवन के क्रय विनिर्माण की तारीख						ग iii	दिदि/मामा/ वाईवाईवाईवाई							

				iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	ग iv		
					ivक जमा की तारीख	ivख लेखा संख्याक	ivग आईएफएस कोड	
					दिदि/मामा/वाईवाईवाईवाई			
				v	दावाकृत कटौती की रकम	ग v		
				घ	धारा 54डग के अधीन दावाकृत कटौती			
				i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	घi	दिन/मास/वर्ष	
				ii	विनिर्दष्ट अधिसूचित बंधपत्र में विनिहित की गई रकम	घii		
				iii	विनिधान की तारीख	घiii	दिन/मास/वर्ष	
				iv	दावाकृत कटौती की रकम	घiv		
				ड	धारा 54 च के अधीन दावाकृत कटौती			
				i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	डi	दिन/मास/वर्ष	
				ii	नये आवासीय घर की लागत	डii		
				iii	नए आवासीय घर के क्रय /विनिर्माण की तारीख	डiii	दिन/मास/वर्ष	
				iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	डiv		
					ivक जमा की तारीख	ivख लेखा संख्याक	ivग आईएफएस कोड	
					दिदि/मामा/वाईवाई			
				v	दावाकृत कटौती की रकम	डv		
				च	धारा 54छ के अधीन दावाकृत कटौती			
				i	शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	चi	दिन/मास/वर्ष	
				ii	नई आस्ति के क्रय या विनिर्माण के लिए उपगत लागत और व्यय	चii		
				iii	शहरी क्षेत्र से भिन्नक्षेत्र में नई आस्ति के क्रय / विनिर्माण की तारीख	चiii	दिन/मास/वर्ष	
				iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	चiv		
					ivक जमा की तारीख	ivख लेखा संख्याक	ivग आईएफएस कोड	
					दिदि/मामा/वाईवाई			
				v	दावाकृत कटौती की रकम	चv		
				छ	धारा 54छक के अधीन दावाकृत कटौती			
				i	शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	छi	दिन/मास/वर्ष	
				ii	विशेष आर्थिक जोन में नई आस्ति के क्रय या विनिर्माण के लिए उपगत लागत और व्यय	छii		
				iii	विशेष आर्थिक जोन में आवासीय घर के क्रय विनिर्माण की तारीख	छiii	दिन/मास/वर्ष	

[illegible]

v		डीटीए ए दरें	अ9ख*											
vi	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	10%	(आ4(ii) डी* + आ5गा* + आ6गii* + आ7डि* + आ7डiii* + आ8गा * + आ9गा* + आ12क1(i))* + आ12क2(i))* + आ (क)											
		12.5 %	(आ1छ(ख)* + ख2डii* + आ4(i) डii* + आ4(ii) डii* + आ6गiii* + आ7डii * + आ8गाii* + आ9गाii* + आ10गाii* + आ11ii* + आ12क1(ii)* + आ12क2(ii)* + आ(क)											
Vii		20%	(आ1ग(क)* + आ2ङ* + आ3ड* + आ4(j) ङ* + आ6गा* + आ10ङ* + आ11* + आ12ख*)											
Viii		डीटीए ए दरें	आ 1ख											
Ix	कुल हानि मुजरा (ii+iii+iv+v+vi+vii+viii+ix+x)													
x	मुजराके पश्चात शेष हानि (i – xi)													
	टिप्पण	इस तालिका में एसटीसीजी के आंकड़े(क1ड* आदि) एसटीसीजी की वह राशियां हैं जिनकी गणना संबंधित स्तंभ (क1 से क 8) में समान प्रतिभूतियों के साथ मुजरा करने के पश्चात् एसटीसीजी की उस राशि को घटाकर की गई है जोकि डीटीए के अनुसार कर प्रभार्य नहीं है अथवा विशेष दरों पर प्रभार्य है, जोकि उसमें शामिल हैं, यदि कोई हो।												
	टिप्पण	इस तालिका में एलटीसीजी के आंकड़े(ख1ड* आदि) एलटीसीजी की वह राशियां हैं जिनकी गणना संबंधित स्तंभ (ख1 से ख12) में समान प्रतिभूतियों के साथ मुजरा करने के पश्चात् एलटीसीजी की उस राशि को घटाकर की गई है जोकि डीटीए के अनुसार कर प्रभार्य नहीं है अथवा विशेष दरों पर प्रभार्य है, जोकि उसमें शामिल हैं, यदि कोई हो।												
च	पूंजी अभिलाभ का प्रोद्भवन/ प्राप्ति के बारे में सूचना													
ऊ		पूंजी अभिलाभ का प्रकार / तारीख				15/6 तक (i)	16/6 से 15/9 (ii)			16/9 से 15/12 (iii)	16/12 से 15/3 (iv)	16/3 से 31/3 (v)		
1		15 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची ख चठक की मद 5 vi क से मूल्य भरें , यदि कोई												
2		20 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची ख चठक की मद 5 vi ख से मूल्य भरें , यदि कोई												

3	30 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची ख चठक की मद 5 vii से मूल्य भरें, यदि कोई					
4	लागू दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची ख चठक की मद 5 viii से मूल्य भरें, यदि कोई					
5	डीटीए दरों पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची ख चठक की मद 5ix से मूल्य भरें, यदि कोई					
6	10 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची ख चठक की मद 5 xक से मूल्य भरें, यदि कोई					
7	12.5 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची ख चठक की मद 5 xख से मूल्य भरें, यदि कोई					
8	20 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची ख चठक की मद 5 xi से मूल्य भरें, यदि कोई					
9	डीटीए दरों की दर पर कर से प्रभार्य दीर्घवधि पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5xii का मूल्य दर्ज करें					
10	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण पर पूंजीगत अभिलाभ पर 30% की दर से प्रभार्य अनुसूची एस.आई की मद 17ख से मूल्य दर्ज करें (यदि कोई हो)					
टिप्पण	कृपया विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति या पत्नी, अवयस्क बालक आदि) जिन्हें इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते हुए अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट किया गया है।					

[illegible]

अनुसूची बी.डी.ए	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय टिप्पण : प्रत्येक संव्यवहार के ब्यौरे जिसमें प्रत्येक अंतरण एक संव्यवहार है, भरे जाएंगे	अधिग्रहण की तारीख	अंतरण की तारीख	शीर्ष जिसके अधीन आय पर कर लगे हैं (कारबार/ पूंजी अभिलाभ)	अधिग्रहण की लागत उपहार के मामले में धारा 56(2)(x) के अधीन राशि जिस पर कर चुकता किया गया है दर्ज करें।	प्राप्त प्रतिफल	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति अंतरण से आम(हानि के मामले में शून्य दर्ज करें) (स्तंभ 6 – स्तंभ 5)
क्रम सं.	(स्तंभ 1)	(स्तंभ 2)	(स्तंभ 3)	(स्तंभ 4)	(स्तंभ 5)	(स्तंभ 6)	(स्तंभ 7)
पंक्तियां जोड़ें							
क. कुल (स्तंभ 7 की समस्त सकारात्मक आय की राशि)							(अनुसूची बीपी का मद सं. क 3छ)
ख. कुल(स्तंभ 7 के कारबार आय की समस्त सकारात्मक आय की राशि)							(अनुसूची सी.जी का मद सं. ग 2)

अनुसूची-अन्य स्रोत		अन्य स्रोतों से आय			
1	सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभार्य सकल आय (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)	1			
	क लाभांश, सकल (क+कii+कiii)	1क			
	i ii और iii के अलावा लाभांश आय	का			
	ii धारा 2(22)(ड़)के अधीन लाभांश आय	कii			
	iii धारा 2(22)(च)के अधीन लाभांश आय	कiii			
	ख ब्याज, सकल (खi + खii + खiii + खiv + खv + खvi + खvii + खviii + खix)	1ख			
	i बचत खाते से	खi			
	ii जमा (बैंक / डाक घर / सहकारी सोसायटी) से	खii			
	iii आय-कर प्रतिदाय से	खiii			
	iv पास धु आय की प्रकृति की आय में	खiv			
	v धारा 10(11)के प्रथम परंतुक के अनुसार कर योग्य सीमा तक भविष्य निधि में योगदान पर अर्जित ब्याज	खv			
	10(12)				
	vi धारा 10(11) के द्वितीय परंतुक के अनुसार कर योग्य सीमा तक भविष्य निधि में योगदान पर अर्जित ब्याज	खvi			
	vii धारा 10(12) के प्रथम परंतुक के अनुसार कर योग्य सीमा तक भविष्य निधि में योगदान पर अर्जित ब्याज	खvii			
	viii धारा 10(12) के द्वितीय परंतुक के अनुसार कर योग्य सीमा तक भविष्य निधि में योगदान पर अर्जित ब्याज	खviii			
	ix अन्य	खix			
ग	मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय	1ग			
	घ धारा 56(2) (x) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय जो कर से प्रभार्य है (घi + घii + घiii + घiv + घv)	1घ			
	i प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का समग्र मूल्य	घi			
	ii यदि स्थावर संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई है, संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घii			
	iii यदि स्थावर संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घiii			
	iv प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घiv			
	v यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घv			
	ङ कोई अन्य आय (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	1ङ			
	क्र.सं.	प्रकृति		राशि	
	1	परिवार पेंशन			
2	विशेष दरों पर प्रभार्य आय (2क+ 2कii + 2ख + 2ग + 2घ + 2ङ + 2च क्रम सं.1 से संबंधित)	2			
	कi लाटरी, क्रास वर्ड, पहेली, दौड़, कार्ड खेल आदि से जीत, धारा 115खख के अधीन प्रभार्य	2कi			
	कii धारा 115खख के अधीन प्रभार्य ऑनलाइन खेलों से जीत द्वारा आय	2कii			
	ख धारा 115खखङ के अधीन प्रभार्य आय (खi + खii + खiii + खiv + खv + खvi)	2ख			
	i धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	खi			
	ii धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खii			
	iii धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खiii			

			iv	धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खiv			
			v	धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खv			
			vi	धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	खvi			
			ग	धारा 111 के अधीन कराधेय मान्यताप्राप्त भविष्य निधि का संचित शेष			2ग	
				क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	आय अभिलाभ	कर अभिलाभ	
				(i)	(ii)	(iii)	(iv)	
			घ	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय /घसे घxi का योग)			2घ	
			i	अनिवासी (कंपनी नहीं होते हुए) या विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश कंपनी धारा 115 क(1) (क) (i), धारा 115 क(1) (क) (अ) के परंतुक के सिवाय अधीन प्रभार्य	घi			
			ik	अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या किसी अंतराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में किसी यूनिट, विदेशी कंपनी जो धारा 80 ठक की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट है, धारा 115क(1)(क)(अ) के परंतुक के अधीन प्रभार्य, प्राप्त हुआ लाभांश	घik			
			ii	धारा 115क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य सरकारी या विदेशी समुत्पन्न से विदेशी मुद्रा ऋणों पर प्राप्त ब्याज	घii			
			iii	धारा 115क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य अवसंरचना ऋण निधि से प्राप्त ब्याज	घiii			
			iv	धारा 194ठग(1) में निर्दिष्ट ब्याज - धारा 115क(1)(क)(ii)क) @5% के अधीन प्रभार्य	घiv			
			v	धारा 194ठघ में निर्दिष्ट ब्याज - धारा 115क(1)(क)(ii)कख) के अधीन प्रभार्य	घv			
			vi	वितरित आय जो ब्याज है, जिसे धारा 194ठखक में निर्दिष्ट किया गया है - धारा 115क(1)(क)(ii)कग) के अधीन प्रभार्य	घvi			
			vii	यूटीआई की यूनिटों या धारा 10(23घ) में विनिर्दिष्ट अन्य पारस्परिक निधियों जिन्हें विदेशी मुद्रा में क्रय किया गया है, से आय - धारा 115क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य	घvii			
			viii	सरकार या संबंधित भारतीय से प्राप्त रॉयल्टी या तकनीकी सेवाओं के लिए प्राप्त शुल्क से आय - धारा 115क(1)(ख)क) & 115क(1)(ख)ख) के अधीन प्रभार्य	घviii			
			ix	बंधपत्रों से ब्याज या लाभांश के माध्यम से या अनिवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जीडीआर से आय - धारा 115कग के अधीन प्रभार्य	घix			
			x	धारा 115कग के अधीन प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए बांड अथवा जी.डी.आर के लाभांश पर आय	घx			
			xi	निवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जीडीआर से लाभांश के माध्यम से आय - धारा 115कगक के अधीन प्रभार्य	घxi			
			xii	प्रतिभूतियों के संबंध में किसी एफआईआई द्वारा प्राप्त आय (लाभांश से भिन्न) - धारा 115कघ(1)(i) के अधीन प्रभार्य	घxii			
			xiii	धारा 194ठघ में निर्दिष्ट बंधपत्र या सरकारी प्रतिभूतियों पर एफ आई आई द्वारा प्राप्त ब्याज के माध्यम से आय परंतुक के अनुसार प्रभार्य	घxiii			
			xiv	अनिवासी खिलाड़ियों या खेल संगमों पर कर - धारा 115खकक के अधीन प्रभार्य	घxiv			
			xv	कतिपय मामलों में अनाम दान - धारा 115खखग के अधीन प्रभार्य	घxv			
			xvi	धारा 115क(1)(अ)(ii)ए) के अधीन प्रभार्य 4 प्रतिशत की दर से धारा 194 थग(1) के परंतुक में संदर्भित ब्याज	घxvi			
			xvii	विकसित और भारत में रजिस्ट्रीकृत पेटेंट से स्वामिस्व के माध्यम से आय - धारा 115खखच के अधीन प्रभार्य	घxvii			
			xviii	कार्बन क्रेडिट के अंतरण के माध्यम से आय - धारा 115खखछ के अधीन प्रभार्य	घxviii			
			xix	धारा 115कघ(1)(i) के अधीन प्रभार्य धारा 115कख में संदर्भित इकाईयों के अलावा एफ आई आई द्वारा प्राप्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्राप्त आय (लाभांश के अतिरिक्त)	घxix			

				xx	अनिवासी भारतीय की विनिधान आय-115ड के अधीन प्रभार्य				घxx					
			ड	विशेष दरों पर प्रभार्य दावा की गई अन्य स्त्रोतों से आय की प्रकृति की पास थु आय (ड्रापडाउन का उपबंध किया जाना है)								2ड		
			च	ऊपर 1 और 2 में सम्मिलित रकम, जो डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य दावा की गई है (नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) का योग)								2च		
				क्रम सं.	आय की रकम	मद सं. 1क, 1कiii, 1ख और 2 जिसमें सम्मिलित किया जाना है	देश का नाम और कूट	डीटीए की मद	संधि के अनुसार दर (कुछ नहीं दर्ज करें, यदि प्रभार्य नहीं है)	क्या टीआरसी अभिप्राप्त किया गया है (हां / नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर)	
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
				I										
				II										
3	धारा 57 के अधीन कटौतियाँ (2क, 2ख, 2घ, 2ड एवं 2च के अधीन विशेष दरों पर प्रभार्य आय से संबंधित से भिन्न)													
			क(i)	व्यय/कटौतियां "ग"में इंदराज के अलावा (पारिवारिक पेंशन के अतिरिक्त मामलों में)							3क(i)			
			क(ii)	धारा 57(ii)क के अधीन कटौती (केवल परिवार पेंशन के मामले में)							3क(ii)			
			ख	अवक्षयण (केवल तभी उपलब्ध जब "अनुसूचीओ.एस" की 1 ग में आय दी गई हो)							3ख			
			ग	धारा 57(1)के अधीन लाभांश पर ब्याज व्यय (केवल तभी उपलब्ध जब 1क(i) और/या 1क(ii) में प्रस्तावित आय-मूल्य इंदराज							3ग			
			गा	धारा 57(1) के अधीन योग्य ब्याज व्यय – कलित राशि							3गा			
			घ	योग							3घ			
4	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम												4	
5	धारा 59के अधीन कर से प्रभार्य लाभ												5	
5क	धारा89क के अधीन कराधान से राहत के लिए आय का दावा												5क	
6	साधारण लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्त्रोतों से शुद्ध आय [1 (डीटीए अंश से संबंधित आय को घटाने के बाद) – 3 + 4 + 5 - 5क] यदि ऋणात्मक है तो अनुसूची सीवाईएलए के 4i को अंक ले जाए												6	

7	अन्यस्रोतों से आय(दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (2 + 6) (यदि हानि है तो 6 को शून्य लिखें)					7			
8	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख रखाव से आय								
	क	प्राप्तियां	8क						
	ख	केवल 8क में प्राप्तियों के संबंध मं धारा 57 के अधीन कटौतियां	8ख						
	ग	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम	8ग						
	घ	धारा 59के अधीन कर से प्रभार्य लाभ	8घ						
	ड	अतिशेष (8क – 8ख+ 8ग+ 8घ) (यदि ऋणात्मक है तो हानि की दशा में अनुसूची अग्रणीत हानियों 10xvi के अंक प्रविष्ट करें)			8ड				
9	“अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय(7 + 8ड) (यदि ऋणात्मक है तो 8ड में शून्यलिखें)					9			
10	प्रौद्भूत / अन्य स्त्रोंतों से आय की प्राप्ति के विषय में सूचना								
		क्रम सं.	अन्य स्रोतों से आय	15/6 तक	16/6 से 15/9 तक	16/9 से 15/12 तक	16 12 से 15/3 तक	16/3 से 31/3 तक	
				(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	
	1	धारा 2(24)(ix) में संदर्भित लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पहेली, घुडदौड़ खेल, जुआ , सट्टेबाजी से जीत पर आय							
	2	धारा 115खखज के अधीन ऑनलाइन खेलों से जीत द्वारा आय							
	3क	क्रम सं. 1ए(i) में संदर्भित लाभांश पर आय							

	3ख	क्रम सं. 1ए(iii) में संदर्भित लाभांश पर आय						
	4	धारा 115क(1)(क)(i) के अधीन धारा 115क(1)(ए)(i) के अधीन 20% की दर से लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)						
	5	धारा 115क(1)(क)(अ) के परंतुक के अधीन 10% की दर से लाभांश आय (जिसके अंतर्गत पीटीआई आय भी सम्मिलित है)						
	6	धारा 115कग के अधीन 10% की दर से लाभांश आय						
	7	धारा 115कगक (1)(ए) के अधीन 10% की दर से लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)						
	8	धारा 115कघ (1)(i) के अधीन 20% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त एफ.आई.आई की लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)						
	9	धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश में रखा गया खाते में सेवानिवृत्ति लाभ से आय किंतु धारा 89 के अधीन कराधान से राहत के लिए दावा नहीं						
	10	डी.टी.ए.ए.दरों पर प्रभाय लाभांश आय						
टिप्पण ▶ कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति या पत्नी, अवयस्क बालक आदि) की आय को सम्मिलित करें								

अनुसूची सी.वाई.एल.ए		चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय केव्यौरे					
अग्रणीत की गई हानि का समायोजन	क्र. सं.	शीर्ष/आय का स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तम्भ को तब भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो)	चालू वर्ष में मुजरा की गई गृह संपत्तियों की हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (सट्टेबाजी से भिन्न) कारबार हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (घुड़ दौड़ से हुई हानि से भिन्न) अन्य स्रोतों से हानि	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की आय
			1	2	3	4	5=1-2-3-4
	i	मुजरा किए जाने के लिए हानि (इस पंक्ति को केवल तब भरें यदि संगणित अंक नकारात्मक है)		(अनुसूची जत का 3)	(अनुसूची खत की मददकाका 2v)	(अनुसूची णद का6)	
	ii	वेतन	(अनुसूची ध का 6)				
	iii	गृह संपत्तियां	(अनुसूची गृहसंपत्तिका 3)				
	iv	कारवार से आय (विनिर्दिष्ट कारवार से सट्टा पर लाभ और आय को अपवर्जित करते हुए) या वृत्ति	(अनुसूची खतकाक 37)				
	v	सट्टाबाजी से आय	(अनुसूची सीजी की मददका 3 ii)				
	vi	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(अनुसूची सीजी की मददका 3 iii)	-			
	vii	15 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 11ii)				

viiख	20 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड' का 11iii)				
Viii	30 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड' का 11iv)				
ix	लागू दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड' का 11iv)				
X	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड' का 11vi)				
xiक	10 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड' का 11vii)				
xiख	12.5 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड' का 11viii)				
xii	20 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड' का 11ix)				
xiii	डीटीए के अनुसार भारत के में विशेष दरों पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड' का 11x)				
xiv	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्थ अन्य स्त्रोतों से शुद्ध आय	(अनुसूची ओएस का 6)				
xv	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण के क्रियाकलाप से लाभ	(अनुसूची ओएस का 8ड)				
Xvi	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अन्य स्त्रोतों से आय	(अनुसूची ओएस का 2च)				
xvii	मुजरा की गई कुल हानि					
xviii	मुजरा करने के पश्चात शेष हानि (i - xvii)					

अनुसूची बी.एफ.एल.ए पूर्वतर वर्षों की अग्रणीत हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के ब्यौरे							
अग्रणीत की गई हानि का समायोजन	क्र. सं.	शीर्ष/आय का स्त्रोत	अनुसूची गमठक 5 के अनुसार (चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय यदि कोई है)	अग्रणीत की गई हानियों का मुजरा	अग्रणीत मूल्यहास का मुजरा	धारा 35(4)के अधीन अग्रणीत भत्ते का मुजरा	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की आय
			1	2	3	4	5
	i	वेतन	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 ii)				
	ii	गृह संपत्तियां	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 iii)	(ख/च गृह संपत्तिहानि)			
	iii	कारबार आय(सट्टेबाजी लाभ और विनिर्दिष्ट कारबार से आय को छोड़कर)	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 iv)	(ख/च कारबार हानि सट्टेबाजी से भिन्न या विनिर्दिष्ट कारबार हानि) (टिप्पण : ख/च हानि का मुजरा धारा 44खख के अधीन आय के सिवाय कारबार आय के लिए प्रतिबद्ध होगा।)	(टिप्पण : ख/च हानि का मुजरा धारा 44खख के अधीन आय के सिवाय कारबार आय के लिए प्रतिबद्ध होगा।)		
	iv	सट्टेबाजी से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 v)	(ख/च सामान्य कारबार या सट्टेबाजी से हानि)			
	v	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 vi)	(ख/च या विनिर्दिष्ट कारबार से हानि)			
	vi क	15 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची गमठक का 5 viक)	(ख/च अल्पकालिक पूंजी हानि)			

[illegible]

viii	2017-18										
ix	2018-19										
x	2019-20										
xi	2020-21										
xii	2021-22										
xiii	2022-23										
xiv	2023-24										
xv	2024-25										
xvi	पूर्वतन् वर्ष में हानि का कुल										
xvi i	अनुसूची बीएफएलए अग्रणीत हानि लेखा में उपरोक्त हानियों का समायोजन	(अनुसूची बीएफएलए का 2ii)		(अनुसूची बीएफएलए का 2iii)	(अनुसूची बीएफएलए का 2iv)	(अनुसूची बीएफएलए का 2v)				(अनुसूची बीएफएलए का 2xiv)	
xvi ii	2025-26 (चालू वर्ष हानियों को अग्रणीत)	(अनुसूची सीवाईएलए का 2xviii)		(अनुसूची सीवाईएलए का 3xviii)	(अनुसूची वीपी का ख42, यदि ve)	(अनुसूची वीपी का ग48, यदि ve)	(2xii + 3xii + 4xii + 5xi + 6xii) अनुसूची सीजी के मद ड)	(7xii + 8xii + 9xi + 10xii) अनुसूची सीजी के मद ड)		(अनुसूची ओएस का 8इयदि-वीई)	
xix	आगामी वर्षों के लिए अग्रणीत कुल हानि										

अनुसूची यू डी धारा 35(4) के अधीन अनुवशोषित क्षयण और भत्ते

क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	अवक्षयण				धारा 35(4) के अधीन भत्ते		
		अनामेलित अवक्षयण की अग्रणीत रकम	धारा 115ख कग(1क) के अधीन करधान के लिए समायोजित रकम का विकल्प	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा किए गए अवक्षयण की रकम	अगले वर्ष को अग्रेषित बकाया	अनामेलित अवक्षयण की अग्रणीत रकम	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा किए गए अवक्षयण की रकम	अगले वर्ष को अग्रेषित बकाया
(1)	(2)	(3)	(3क)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	चालू निर्धारण वर्ष							
ii								
iii								
iv								
v	योग			(बीएफएलए का 3xvi)			(बीएफएलए का 4xvi)	

अनुसूची आईसीडीएस लाभ पर आय संगणना प्रकटीकरण मानक का प्रभाव				
क्रम.सं.	आ.स.प्र.मा.	लाभ में वृद्धि(रू.)	लाभ में कमी(रू.)	कुल प्रभाव(रू.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	लेखा नीति			
II	तालिकाओं का मूल्यांकन (धारा 145 क के अधीन मूल्यांकन पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न यदि उसी को भाग क -ण छ के स्तंभ 4घ या 4ड. में पृथकतः रिपोर्ट			

	किया गया है)			
III	संनिर्माण संविदाएं			
IV	राजस्व मान्यता			
V	मूर्त नियत आस्तियां			
VI	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन			
VII	सरकारी अनुदान			
VIII	प्रतिभूतियां (धारा 145 क के अधीन मूल्यांकन पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न यदि उसी को भाग क-णछ के स्तंभ 4घ या 4ड. में पृथकतः रिपोर्ट किया गया है)			
IX	उधार लेने की लागत			
X	समाश्रित दायित्व और समाश्रित आस्तियां की व्यवस्था			
XI	लाभ परसमायोजित आई सी डी एस का कुल प्रभाव I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X			

अनुसूची- 10कक		धारा 10कककेअधीनकटौती						
धारा 10कक के अधीन कटौती	विशेष आर्थिक जोन में स्थित इकाइयों की बाबत कटौती							
	क्र.स	उपक्रम	वह निर्धारण वर्ष जिसमें यूनिट विनिर्माण उत्पादन/ सेवा प्रदान करना आरम्भ करती है	क्र.स	कटौती की रकम			
	क	उपक्रम संख्या 1		क	(उपक्रम 1 के लिए प्ररूप 56च के उपाबंधक की म द 17)			
	ख	उपक्रम संख्या 2		ख	(उपक्रम 2 के लिए प्ररूप 56च के उपाबंधक की म द 17)			
	ग	धारा 10कक के अधीन कुल कटौती (क+ ख)						ग
अनुसूची 80छ		धारा 80 छ के अधीन कटौती के लिए हकदार दानों के ब्यौरे						
दान के ब्यौरे	क	बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौती के लिए हकदारदान						
		आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	दान की रकम		दान के लिए उपयुक्त रकम	
					नकद में दान	अन्य रूप में दान	कुल दान	
		i						
		ii						
		iii	कुल					
	ख	बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदारदान						
		आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	दान की रकम		दान के लिए उपयुक्त रकम	
					नकद में दान	अन्य रूप में दान	कुल दान	
		i						
		ii						
		iii	कुल					
	ग	अर्हता सीमा के अधधीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदारदान						
		आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	दान की रकम		दान के लिए उपयुक्त रकम	
					नकद में दान	अन्य रूप में रकम	कुल दान	
		i						
		ii						
		iii	कुल					
	घ	अर्हता सीमा के अधधीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदारदान						
		आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	ए.आर.एन (दान संदर्भ संख्या)	दान की रकम		दान के लिए उपयुक्त रकम
						नकद में दान	अन्य रूप में दान	कुल दान

		i						
		ii						
		iii						

80छछक अनुसूची (फर्म के भागीदार के मामले में जो फर्म से केवल लाभ व्युत्पन्न करता हो)		वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए दानके ब्यौरे						
क्र. सं.	सुसंगत खंड जिसके अधीन कटौती का दावा किया गया है (ड्राप डाउन उपबंधित करें)	दाता का नाम और पता	दाता का पैन	दान की रकम			दान के लिए पात्र रकम	
				नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान		
i								
ii								
	कुल संदान							

अनुसूची 80छछग		राजनैतिक दलों द्वारा किए गए अभिदाय का ब्यौरा						
क्रम सं.	तारीख	अभिदाय की रकम			अभिदाय योग्य रकम	यूपीआई संख्या/आईएमपीएस/एनईएफटी/आरटीजीएस संव्यवहार संदर्भ संख्या	अंतरण या चेक के लिए	बैंक का आई एफ एस कोड
		नकद में अभिदाय	अन्य माध्यम में अभिदाय	कुल अभिदाय				
i								
	(पंक्ति जोड़े)							
	कुल अभिदाय							

अनुसूची 80घघ		आश्रित का चिकित्सकीय उपचार जो नियोग्य व्यक्ति हैं, सहित अनुरक्षण के संबंध में कटौती का ब्यौरा						
नियोग्यता की प्रकृति	आश्रित का प्रकार	आश्रित का पैन	आश्रित का आधार	प्ररूप 10।क के फाइलिंग की तारीख	फाइल किए गए प्ररूप 10।क की अभिस्वीकृति संख्या	नियम 11क(2)(ii) के अनुसार प्ररूप का स्वीकृत संख्या (यदि उपलब्ध हो)	यूडीआईडी संख्या (यदि उपलब्ध हो)	रकम
1. नियोग्यता के साथ आश्रित व्यक्ति 2. गंभीर नियोग्यता के साथ आश्रित व्यक्ति	1. पति या पत्नी 2. पुत्र 3. पुत्री 4. पिता 5. माता 6. भाई 7. बहन 8. एचयूएफ का सदस्य (एचयूएफ की दशा में)							

अनुसूची 80प		अयोग्य व्यक्ति की दशा में कटौती का ब्यौरा			
नियोग्यता की प्रकृति	प्ररूप 10।क के फाइलिंग की तारीख	फाइल किए गए प्ररूप 10।क की अभिस्वीकृति संख्या	नियम 11क(2)(ii) के अनुसार प्ररूप का स्वीकृत संख्या (यदि उपलब्ध हो)	यूडीआईडी संख्या(यदि उपलब्ध हो)	रकम
1. स्वयं से नियोग्यता 2. स्वयं की गंभीर अयोग्यता					

अनुसूची द. क		अनुसंधान संगमों को दान के ब्यौरे आदि [धारा 35 (1)(iii) या 35 (1) (ii) क) या 35 (1) (iii) 35(2कक) के अधीन कटौतीयां दान की पात्र रकम]				
	आदाता का नाम और पता	आदाता का पैन	दान की रकम			दान की पात्र रकम
			नकद दान	अन्य रूप में संदान	कुल संदान	

	i					
	ii					
	iii	कुल				

अनुसूची- 80इक		धारा 80इक के अधीन कटौतियां			
क	धारा 80इक(4)(iv) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाषों की बाबत कटौतियाँ (विद्युत)	क 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
		क 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
ख	धारा 80इक के अधीन कुल कटौतियाँ (क1 + क2)				ख

अनुसूची-80-इख		धारा 80इख के अधीन कटौतियां				
धारा 80इख के अधीन कटौतियां	क	ऐसे उपक्रमों की दशा में जो वाणिज्यिक रूप से उत्पादन या खनिज तेल के परिष्करण का कार्य आरम्भ कर देते हैं कटौतियाँ [धारा 80इख(9)]	क1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
			क2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
	ख	ऐसे उपक्रमों की दशा में कटौतियाँ जो भवन आवास परियोजनाओं के विकास और निर्माण में लगे हुए हैं [धारा 80इख(10)]	ख 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
			ख 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
	ग	ऐसे उपक्रमों, जो कि फलों, सब्जियों, मांस, मांस उत्पादों, पोल्ट्री, डेयरी उत्पादों, समुद्री खाद्य के प्रसंस्करण संरक्षण एवं पैकेजिंग में संलग्न है की दशा में कटौतियाँ [धारा 80- इख (11क)]	ग 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
			ग 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
	घ	खाद्यानों,उठाई-धराई भंडारण और परिवहन के कारबार में लगे हुए उपक्रम की दशा कटौती [धारा 80इख(11 क)]	घ 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
			घ 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
ङ	धारा 80इख के अधीन कुल कटौतियाँ (क1 सेघ2 कायोग)					ड

अनुसूची-80-इड			धारा 80इड के अधीन कटौतियाँ		
धारा 80इख के अधीन कटौतियाँ	घ	पूर्वोत्तर में स्थित उपक्रमों की बाबत कटौतियाँ			
	कक असम	कक1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
		कक2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
	कख अरुणचल प्रदेश	कख1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
		कख2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
	कग मणिपुर	कग 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
		कग 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
	कघ मिजोरम	कघ1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
		कघ2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
	कड मेघालय	कड 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
		कड 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
	कच नागालैंड	कच1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
		कच2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
	कछ त्रिपुरा	कछ1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
		कछ2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	

	कज	पूर्वोत्तर में अवस्थित कुल कटौतियाँ (कक 1 से कछ 2 का योग)	कज	
ख	धारा 80	झड़. के अधीन कुल कटौतियाँ (कज)	ख	

अनुसूची- VI क		अध्याय 6 क के अधीन कटौतियाँ			
1	भाग ख-कतिपय संदायों की बावत कटौती				
क	80ग (ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)		ख	80गगग(ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)	
	80गगघ(1) (ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)		घ	80गगघ(1ख) (ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)	
	80गगघ(2) (ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)		च	80घ(ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)	
	80घघ		ज	80घघख(ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)	
	80ङ(ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)		ञ	80ङ-ङ(ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)	
	80ङ-ङक(ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)		ठ	80ङ-ङख(ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)	
	80छ		ढ	80छछ(ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)	
	ण	80छछक	णा	80छछग	
भाग ख के अधीन कुल कटौती (क से णा का योग)					1
2	भाग ग-कतिपय आय की बावत कटौती				
क	त	80- झक	(अनुसूची 80 झककाख)		
	थ	80- झकख			
	द	80- झख	(अनुसूची 80 झखकाङ)		
	ध	80- झखक			
	न	80झङ	(अनुसूची 80झङ का ड)	प	80जजक
	प	80जजक			
	फ	80जजकक	प्रपत्र 10 घक में अनुसूची में क्रम सं. 5I(अiv) + 5II	ब	80थथक (ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)
	ब	80 थथख			
भ	80 ददख(ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)				
भाग ग के अधीन कुल कटौती (त से भ का योग)					2
3	भाग गक और घ अन्य आय/अन्य कटौती के संदर्भ में कटौती				
i	80 ननक		ii	80ननख	
iii	80प		iv	80गगज	
v	ई फाइलिंग यूटिलिटी के अनुसार कोई अन्य कटौती (ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)				

	भाग गक और घ के अधीन कुल कटौती (i, ii, iii, iv और v का योग)	3	
4	अध्याय 6 क के अधीन कुल कटौतियाँ (1+2+3 का योग)	4	

अनुसूची-अनुकल्पिक निम्नतर कर		धारा 115जग के अधीन अनुकल्पिक निम्नतर संदेय कर की संगणना	
कुल कटौतियाँ	1	भाग-ख-कुल आय के मद 14 के अनुसार कुल आय	1
	2	धारा 115जग(2)के अनुसार समायोजन	
	क	शीर्ष ई के अधीन "कतिपय आय की बाबत कटौतियों" अध्याय ख-अ में किसी भी धारा के अधीन कटौती का दावा सम्मिलित है	2क
	ख	धारा 10कक के अधीन कटौती का दावा	2ख
	ग	धारा 35कघ के अधीन आस्तियों पर अवक्षयण की रकम, जिस पर कटौती का दावा किया गया है, के रूप में की गई है	2ग
	घ	कुल समायोजन(2क + 2ख + 2ग)	2घ
	3	धारा 115जग(1)के अधीन समायोजित कुल आय(1 + 2घ)	3
	3क	धारा 115जग(1)के अधीन आई एफ एस सी में स्थित इकाईयों से समायोजित कुल आय, यदि कोई हो	3क
	3ख	धारा 115जग(1)के अधीन इकाईयों (3-3क) के अलावा समायोजित कुल आय	3ख
	4	धारा 115जग(1)के अधीन देय कर [(9% of (3क) + 18.5% of (3ख)) (अगर 3 बड़ा हो. 20 लाख रू. से)	4

अनुसूची-अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा		धारा 115जघ के अधीन कर जमा की संगणना					
1	निर्धारण वर्ष 2025-26 (भाग-ख-टीटीआई कुल कर आय का 1घ) में धारा 115जग के अधीन कर					1	
2	निर्धारण वर्ष 2025-26 (भाग-ख- टीटीआई कुल कर आय का 2आई) में अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर					2	
3	कर की रकम जिस पर जमा उपलब्ध है [(2-1)को प्रविष्ट करें यदि 2, 1 से अधिक है, अन्यथा 0 प्रविष्ट करें]					3	
4	उपलब्ध अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा, का उपयोग (चालू वर्ष में अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा की रकम का उपयोग ऊपर वर्णित 3 में अधिकतम रकम जितना है और अग्रणीत जमा अनुकल्पिक निम्नतर कर से अधिक नहीं हो सकेगा)						
	क्र.सं	निर्धारण वर्ष (क)	अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा			चालू वर्ष के दौरान अनुकल्पिक निम्नतर कर का उपयोग	अग्रणीत अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा अतिशेष (घ)=(ख3)-(ग)
			सकल(ख1)	पूर्वतर वर्षों में मुजरा(ख2)	अग्रणीत अतिशेष (ख3)=(ख1)-(ख2)		
	I	2013-14					
	li	2014-15					
	lii	2015-16					
	lv	2016-17					
	V	2017-18					
	Vi	2018-19					
	Vii	2019-20					
	Viii	2020-21					
	Ix	2021-22					
	X	2022-23					
	xi	2023-24					
	xii	2024-25					
xiii	चालू निर्धारण वर्ष (1-2, प्रविष्ट करें, यदि 2, 1 से अधिक है नहीं तो शून्य लिखें)						
xiv	योग						
5	वर्ष के दौरान धारा 115जघ के अधीन जमा की रकम का उपयोग [मदसं. 4(ग) का कुल					5	
6	पश्चात्तर्ती निर्धारण वर्षों में जमा के लिए उपलब्ध अनुकल्पिक निम्नतर कर के दायित्व की रकम [4(घ) का कुल					6	

अनुसूची – विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय		विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय (पति/पत्नी, अव्यस्क बालक आदि) निधारितियों की धारा 64 के अनुसार आय में शामिल				
क्रमसं.	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का स्थायी लेखा सं./ आधार संख्या	नातेदारी	रकम	आय का शीर्ष जिसमें सम्मिलित है	
1						
2						
3						

अनुसूची विशेषदर						
क्रमसं.	धारा	☑	विशेषदर (%)	आय (i)	उस पर कर (ii)	
1	111- पूर्व के वर्षों के लिए मान्यता प्राप्त भविष्य निधि का संचित शेष	☐		(अनुसूची ओ.एस.का 2iii)	(अनुसूची ओ.एस.का 2iv)	
2क	111क या 115कघ(1)(ख)(iii)-परंतुक (शेयर यूनिटों पर एस.टी.सी.जी जिस पर जहा एस.टी.टी पेय संदत्त है) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 के पूर्व किया गया, जैसा लागू हो]	☐	15	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5vi का भाग)		
2ख	111क या 115कघ(1)(ख)(iii)-परंतुक (शेयर यूनिटों पर एस.टी.सी.जी जिस पर जहा एस.टी.टी पेय संदत्त है) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 के पूर्व किया गया, जैसा लागू हो]	☐	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5viख का भाग)		
3	115कघ (प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई के लिए एस.टी.सी.जी जहा एस.टी.सी.जी संदत्त नहीं है)	☐	30	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5vii का भाग)		
4क	112(1) परन्तुक (सूचीकरण के साथ सूचीबद्ध प्रतिभूतियों/ यूनिटों पर एल.टी.सी.जी) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 के पूर्व किया गया, जैसा लागू हो और अनुसूची गछ के क्रम सं. ख3(i)(ज) को हिसाब में लेते हुए उस पर कर, यदि कोई हो]	☐	20 [अनुसूची सीजी के ख4(i)(ज) द्वारा घटाय गया]	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xi का भाग)		
4ख	112(1) परन्तुक (सूचीबद्ध प्रतिभूतियों/ यूनिटों पर एल.टी.सी.जी) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 के पूर्व किया गया, जैसा लागू हो]	☐	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xख का भाग)		
5क	112(1)(ग)(iii) (गैर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी या सूचीबद्ध डिबेंचरों से भिन्न) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 के पूर्व किया गया, जैसा लागू हो]	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xक का भाग)		
5ख	112(1)(ग)(iii) (गैर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 के पूर्व किया गया, जैसा लागू हो]	☐	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xख का भाग)		
6क	115कग (बंधपत्रों/जी.डी.आर पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 के पूर्व किया गया, जैसा लागू हो]	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xक का भाग)		
6ख	115कग (बंधपत्रों/जी.डी.आर पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 के पूर्व किया गया, जैसा लागू हो]		12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xख का भाग)		
7क	115कग (विदेशी करसी में क्रम किए गए बंधपत्रों या जी.डी.पी आर से अनिवासी की आय	☐	10	(अनुसूचि ण ध के 2घix का भाग)		
7ख	धारा 115कग के अधीन प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए बांड अथवा जी.डी.आर के लाभांश पर आय	☐	10	(अनुसूचि ण ध के 2घxxi का भाग)		
8क	115कगक (जी.डी.आर पर विनिर्दिष्ट कम्पनी के किसी कर्मचारी के लिए एल.टी.सी.जी) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 के पूर्व किया गया, जैसा लागू हो]	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xक का भाग)		
8ख	115कगक (जी.डी.आर पर विनिर्दिष्ट कम्पनी के किसी कर्मचारी के लिए एल.टी.सी.जी) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 के पूर्व किया गया, जैसा लागू हो]	☐	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xख का भाग)		
9	115कघ (प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई के लिए एल.टी.सी.जी)	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)		
10क	115ड (विदेशी विनिमय आस्ति पर अनिवासी भारतीय के लिए एल.टी.सी.जी) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 के पूर्व किया गया, जैसा लागू हो]	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xक का भाग)		
10ख	115ड (विदेशी विनिमय आस्ति पर अनिवासी भारतीय के लिए एल.टी.सी.जी) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 के पूर्व किया गया, जैसा लागू हो]	☐	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xख का भाग)		
11क	112(अन्य पर एल.टी.सी.जी) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 के पूर्व किया गया, जैसा लागू हो]	☐	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5xi का भाग)		

11ख	112(अन्य पर एल.टी.सी.जी) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 के पूर्व किया गया, जैसा लागू हो] और और अनुसूची गछ के क्रम सं. ख3(i)(ज) को हिसाब में लेते हुए उस पर कर, यदि कोई हो	□	12.5 [अनुसूची सीजी के ख1डii द्वारा घटाय गया]	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xख काभाग)	
12क	112क या धारा115कघ(1)(ख)(iii)-परंतुक (शेयर या इकाईयां जिन पर एस.टी.टी संदत्त है के विक्रय पर एल.टी.सी.जी) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 के पूर्व किया गया, जैसा लागू हो]	□	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5xक)	
12ख	112क या धारा115कघ(1)(ख)(iii)-परंतुक (शेयर या इकाईयां जिन पर एस.टी.टी संदत्त है के विक्रय पर एल.टी.सी.जी) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया गया, जैसा लागू हो]	□	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xख काभाग)	
13	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्थ एस.टी.सी.जी	□		(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5ix काभाग)	
14	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्थ एल.टी.सी.जी	□		(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xii काभाग)	
15क	115खख (लाटरी,वर्गपहेली,दौड़,खेलआदिसेजीत)	□	30	(अनुसूची ओ एस के 2क काभाग)	
15ख	115खखख(ऑनलाईन गेम में जीत)	□	30	(अनुसूची ओ एस के 2क काभाग)	
16	115खखड(धारा 68,69,69क,69ख,69ग या 69घ के अधीन)	□	60	(अनुसूची ओ एस के 2ख काभाग)	
17	115खखज (आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय पर कर)	□			
	क कारबार या वृत्ति से आय	□	30	(अनुसूची बीपी का क3छ)	
	ख पूंजीगत लाभ शीर्ष के अधीन आय	□	30	(अनुसूची सीजी का ग2)	
18	115खखच (पेटेंट से आय पर कर)	□			
	क कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय	□	10	(अनुसूची बीपी का 3ड)	
	ख अन्य स्रोत शीर्ष के अधीन आय	□	10	(अनुसूची ओ एस का 2घ)	
19	115खखछ(कार्बन प्रत्यय के अंतरण से आय पर कर)	□			
	क मुख्य कारबार या वृत्ति के अधीन आय	□	10	(अनुसूची बीपी का 3च)	
	ख अन्य मुख्य स्रोतों के अधीन आय	□	10	(अनुसूची ओ एस का 2घ)	
20	115क(1)(ख) (क) & 115क(1)(ख)(ख) (रोयलिटी सेअनिवासीकीआय)	□	10	(अनुसूची ण.दके2घ काभाग)	
21	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्थ अन्य स्रोतों से आय	□		(अनुसूची बीईएलए का 5भम काभाग)	
22क	धारा 111क या 111क के अलावा 15% की दर से प्रभार्थ लघुकालिक पूंजीगत लाभ की प्रकृति के रूप में आय से गुजरना	□	15	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5vक काभाग)	
22ख	धारा 111क या 111क के अलावा 20% की दर से प्रभार्थ लघुकालिक पूंजीगत लाभ की प्रकृति के रूप में आय से गुजरना	□	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5vख काभाग)	
23	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में किसी और आय पर होगा30% की दर पर प्रभार्थ	□	30	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5vii काभाग)	
24क	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय के माध्यम से पास धारा 112क के अधीन 10% की दर से प्रभार्थ	□	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xक काभाग)	
24ख	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय के माध्यम से पास धारा 112क के अधीन 12.5% की दर से प्रभार्थ	□	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xख काभाग)	
25क	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय के माध्यम से पास धारा 112क के अतिरिक्त धारा के अधीन 10% की दर से प्रभार्थ	□	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5ixक काभाग)	
25ख	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय के माध्यम से पास धारा 112क के अतिरिक्त धारा के अधीन 12.5% की दर से प्रभार्थ	□	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xख काभाग)	
26	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में किसी और आय पर 20% की दर पर प्रभार्थ होगा	□	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xi काभाग)	
27	विशेष दर पर प्रभार्थ अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में निकासी आय (ई-फाइलिंग उपयोगिता में डाउन डाउन दिया जाना है)	□		(अनुसूची ओ.एस का 2छ)	
28	अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में किसी और आय पर विशेष दरों पर प्रभार्थ होगा (ई-फाइलिंग युटिलिटीमें डाउन-डाउन दिया जाएगा)	□		(अनुसूची ओ एस का 2ड)	
			योग		

अनुसूची-आईएफ		उन भागीदारी फर्मों के विषय में जानकारी जिन में आप भागीदार हैं						
फर्म जिनमें भागीदार है	फर्मों की संख्या जिनमें आप भागीदार हैं							
	फर्म का नाम	फर्म का स्थायी लेखा संख्यांक	क्या फर्म लेखा परीक्षाके लिए दायी है (हां या नहीं)	क्या धारा 92ड फर्म पर लागू है? (हां/नहीं)	फर्म के लाभ में शेयरों की प्रतिशतता	लाभ में शेयर की रकम	31 मार्च को फर्म में पूंजी अतिशेष	
						i	ii	
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6	योग						

अनुसूची-छूट प्राप्त आय			छूट प्राप्त आय का ब्यौरा (कुल आय में सम्मिलित न की जाने वाली आय या जो कर के लिए प्रभार्य न हो)							
	1	ब्याज से आय						1		
	2	i	शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न)				i			
		ii	कृषि पर उपगत व्यय				ii			
		iii	पूर्व आयकर-निर्धारण वर्षों का अनआमेहित कृषि हानि				iii			
		iv	नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और 8 (अनुसूची बीपी की क्र.सं. 38)				iv			
		v	वर्ष (i-ii-iii) के लिए शुद्ध कृषि आय (यदि हानि है तो शून्य निर्दिष्ट करें)						2	
		vi	5लाख रू. से अधिक की शुद्ध कृषि आय होने की दशा में, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें (प्रत्येक कृषि भूमि के लिए पृथकतया ब्यौरे भरें)							
		क	जिले का नाम पिन कोड सहित जिसमें कृषि भूमि स्थित है							
		ख	एकड़ में कृषि भूमि की पैमाइश							
			ग	क्या कृषि भूमि स्वामित्व में है या पट्टे पर है (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)						
		घ	क्या कृषि भूमि सिंचाई पर है या वर्षा के पानी पर निर्भर है (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)							
छूट प्राप्त आय	3	अन्य छूट प्राप्त आय (नाबालिग बच्चे की आय पर छूट भी सम्मिलित है) (कृपया विनिर्दिष्ट करें)						3		
	4	डीटीए के अनुसार आय जो कर दावाकृत प्रभार्य नहीं है								
		क्रम. सं.	आय की रकम	आय की प्रकृति	देश का नाम और कोड	डीटीए का अनुच्छेद	आय का शीर्ष	क्या टी आर सी अभिप्रमाणित किया गया है (हां/नहीं)		
		I								
		II								
		III	डीटीए से कुल आय जो कर दावाकृत प्रभार्य नहीं है					4		
	5	कोई और आय कर दावाकृत प्रभार्य नहीं हैं, (अनुसूची पीटीआई)						5		
	6	योग (1+2+3+4+5)						6		

अनुसूचीपीटीआई		धारा 115प, धारा 115पक और धारा 115पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे								
पास के माध्यम से आय	क्रम	धारा धारा 115प/ 115पक/115पख में शामिल निवेश इकाई	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	मौजूदा वर्ष की आय	निवेश इकाई द्वारा वितरित मौजूदा वार्षिक हानि का अंश	निवल आय/हानि(7-8=9)	ऐसी रकम पर स्त्रोत पर कर कटौती, यदि कोई हों
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1.	(ड्रॉप-डाउन			i	गृहसंपत्ति				

		दिया जाए)			ii	पूँजी अभिलाभ					
						क	अल्पकालिक अवधि				
						का	धारा 111क				
						काii	अन्य				
						ख	दीर्घकालिक अवधि				
						खा	धारा 112क				
						खाii	धारा 112क के अलावा अन्य				
					iii	अन्य स्त्रोत					
						क	लाभांश				
						ख	अन्य				
					iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी					
						क	धारा 10(23चखख)के अधीन				
						ख	धाराके अधीन				
						ग	धारा.....के अधीन				
2.					i	गृहसंपत्ति					
					ii	पूँजी अभिलाभ					
						क	अल्पकालिक अवधि				
						का	धारा 111क				
						काii	अन्य				
						ख	दीर्घकालिक अवधि				
						खा	धारा 112क				
						खाii	धारा 112क के अलावा अन्य				
					iii	अन्य स्त्रोत					
						क	लाभांश				
						ख	अन्य				
					iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी					
						क	धारा 10(23चखख)के अधीन				
						ख	धाराके अधीन				
						ग	धारा.....के अधीन				
टिप्पण▶		इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्देशित करें।									

अनुसूची टी.पी.एस.ए

ई फाईलिंग उपयोगिता में प्रदत्त अनुसूची के अनुसार-, धारा खड 92(2क)के अनुसार कर के द्वितीयक समायोजन का विवरण

धारा 92गड (2क) के अनुसार द्वितीयक समायोजन पर कर

1	प्राथमिक समायोजन की राशि जिस पर धारा 92गड (2क)) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया गया है और ऐसे अतिरिक्त धन को निर्धारित समय के भीतर वापस नहीं किया गया है						
2	क	अतिरिक्त आयकर 18% या उससे अधिक की दर पर देय होगा					
	ख	“क” पर 12% की दर से अधिभार					
	ग	(क+ख) पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर					
	घ	कुल देय अतिरिक्त कर (क+ख+ग)					
3	भुगतान किए गए कर						
4	निवल देय कर (2घ-3)						
5	धारा 92गड (2क) के अनुसार द्वितीयक समायोजनों पर कर को जमा करने की तारीख	तारीख1 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 2 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 3 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 4 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 5 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 6 (दिन/माह/वर्ष)
6	बैंक और शाखा का नाम						
7	बीएसआर कोड						
8	चालान का क्रम संख्या						
9	जमा की गई राशि						

अनुसूची-आयकेविदेशीस्रोत			भारत से बाहर आय के ब्यौरे और कर राहत (केवल निवासी के मामले में उपलब्ध है)							
भारत से बाहर आय और कर राहत	क्र.सं.	देश का कोड(ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा को भरा जाए)	करदाता की पहचान संख्या	क्र.सं.	आयकाशीर्ष	भारत से बाहर आय भाग ख-टी आई में सम्मिलित	भारत से बाहर संदत्त कर	भारत में सामान्य उपबंधों के अधीन ऐसी आय पर संदेय कर	भारत में उपलब्ध कर राहत (ड)= (ग) या (घ) जो भी निम्नतर हो	डीटी ए ए का सुसंगत अनुच्छेद यदि धारा 90 या 90 क के अधीन राहत का दावा किया गया है
					(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(घ)	(च)
	1			i	वेतन					
				ii	गृहसंपत्ति					
				iii	कारबार या वृत्ति					
				iv	पूजी अभिलाभ					
				v	अन्य स्रोत					
				योग						
	2			i	वेतन					
				ii	गृहसंपत्ति					
iii				कारबार या वृत्ति						
iv				पूजी अभिलाभ						
v				अन्य स्रोत						
योग										
टिप्पण ► कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को देखें।										

[illegible]

(ii)												
अ3	31 दिसंबर, 2024 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी इकाई द्वारा धारित विदेशी साधारण और ऋण ब्याज के ब्यौरे (जिसके अधीन फायदाग्राही हित भी है)											
क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	इकाई का नाम	इकाई का पता	जिप कोड	इकाई की प्रकृति	हित अर्जित करने की तारीख	निवेश का आरंभिक मूल्य	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत मूल्य	अवधि के दौरान धृति के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम	अवधि के दौरान विक्रय से कुल सकल आगम या निवेश का कुल सकल मोचन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i)												
(ii)												
अ4	31 दिसंबर, 2024 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा के ब्यौरे (जिसके अधीन फायदाग्राही हित भी है)											
क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्था जिसमें बीमा संविदा की गई का नाम		वित्तीय संस्था का पता	जिप कोड	संविदा की तारीख		संविदा का नकद मूल्य या अभ्यर्पित मूल्य	अवधि के दौरान संविदा के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)	(9)		
(i)												
(ii)												
ख	31 दिसंबर, 2024 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी इकाई में धारित वित्तीय हित के ब्यौरे (जिसके अधीन फायदाग्राही हित भी है)											
क्र सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	अस्तित्व की प्रकृति	अस्तित्व का नाम और पता	ब्याज की प्रकृति-सीधे / फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	रखने की तारीख से	कुल विनिधान (लागत पर) (रु.में)	ऐसे ब्याज से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज		
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
ग	31 दिसंबर, 2024 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय अचल संपत्ति के ब्यौरे (जिसके अधीन फायदाग्राही हित भी है)											
क्र सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	संपत्ति का पता	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी/हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु.में)	संपत्ति से प्राप्त आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			

										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2 क)	(2 ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
घ	31 दिसंबर, 2024 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय कोई अन्य पूंजी आस्ति के ब्यौरे (जिसके अधीन फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	आस्ति की प्रकृति	स्वामित्व-सीधे फायदा प्रद स्वामी/हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु.में)	संपत्ति से प्रोद भूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(1)	(2 क)	(2 ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
ङ	31 दिसंबर, 2024 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय खाता (खातों) जिसमें आप हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं के ब्यौरे (जिसके अधीन फायदाग्राही हित भी है) और जो उपरोक्त क से घ में सम्मिलित नहीं किए गए हैं।											
क्र. सं.	संस्था का नाम जिस में खाता रखा है	संस्था का पता	देश का नाम और कोड	जिप कोड	खाता धारक का नाम	खाता संख्या	वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष / विनिधान (रु.में)	कृपया आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है	यदि (7) हां है तो खाते में प्रोदभूत राशि	यदि (7)हां में है,तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2क)	(2ख)	(3क)	(3ख)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)												
(ii)												
च	भारत से बाहर देश की विधि के अधीन बनाए गए न्यासों का ब्यौरे जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या अवस्थापक*।											
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	न्यास का नाम और पता	न्यासियों के नाम और पते	अवस्थापक का नाम और पता	हिताधिकारियों के नाम और पते	जब से पद संभाला है उसकी तारीख	क्या आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है	यदि (8) हां में है, तो न्यास से प्राप्त आय	यदि (8)हां में है,तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
										राशि	जहाँ अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2क)	(2 ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

(i)										
(ii)										
छ	भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरा (i) जो उपरोक्त मद क से च में सम्मिलित नहीं ; और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय में सम्मिलित नहीं की गई है									
क्र.सं.	देशकानामऔरकोड	जिप कोड	जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधेय है।	यदि (6)हां में है,तोइस विवरणी में पेश की आय			
							राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(1)	(2 क)	(2 ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
(i)										
(ii)										
टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। व्यक्ति होने की शा में भारतीय नागरिक न होने पर जो कि कारबार, नियोजन या छात्र वीजा पर भारत में है, पूर्ववर्ष के दौरान अर्जित आस्ति जिसमें वह अनिवासी था, को इस अनुसूची में रिपोर्ट करना आवश्यक नहीं है यदि चालू पूर्ववर्ष के दौरान उस आस्ति से कोई आय प्राप्त नहीं हुई										

अनुसूची 5क पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित पति-पत्नी के बीच में आय के प्रभाजन से संबंधित जानकारी					
पति या पत्नी का नाम					
पति/पत्नी का स्थायी खाता संख्यांक / आधार					
क्या पति/पत्नी के खातों की बही का धारा 44कख या किसी अन्य उपबंध (इस अधिनियम की धारा 92ड या किसी अन्य अधिनियम के अधीन से भिन्न) के अधीन लेखा परीक्षण किया गया है? अथवा क्या आपके पति/पत्नी ऐसी फर्म में भागीदार है जिसके खातों का इस अधिनियम के अधीन धारा 44 कख या किसी अन्य उपबंध (इस अधिनियम की धारा 92ड या किसी अन्य अधिनियम के अधीन से भिन्न) के अधीन लेखा-परीक्षण आवश्यक					
क्या पति/पत्नी के खातों की बही का धारा 92 ड के अधीन लेखा परीक्षण किया गया है? अथवा क्या आपके पति/पत्नी ऐसी फर्म में भागीदार है जिसके खातों का इस अधिनियम के अधीन धारा 92 ड के अधीन लेखा-परीक्षण आवश्यक					
आय के शीर्ष		शीर्ष के अधीन प्राप्त प्राप्तियां	पति या पत्नी के हाथों में प्रभाजित रकम	(ii) की आय पर कटौती किए गए टीडीएस की रकम पर	पति या पत्नी के हाथों में प्रभाजित टीडीएस
(i)		(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1	गृहसंपत्ति				
2	कारबार या वृत्ति				
3	पूँजीअभिलाभ				
4	अन्य स्रोत				
5	यो				

अनुसूची क.ठ		वर्ष के अंत में आस्ति और दायित्व (भाग क-खध में अधीन से भिन्न)(उस शा में जहां कुल आय 1 करोड़ रु0 से अधिक है, लागू होती है)			
आस्ति और दायित्व के विवरण	क	स्थावर आस्ति का ब्यौरा			
	क्रम सं0	विवरण	पता	पिनकोड	रकम (लागत) रु0 में
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(i)				
	(ii)				
	ख	जंगम आस्ति का ब्यौरा			
	क्रम सं0	विवरण			रकम (लागत) रु0 में
	(1)	(2)			(3)
	(i)	आभूषण, बुलियन आदि			
	(ii)	पुरातात्विक संग्रहण, रेखाचित्र, रंगचित्र, मूर्ति या कोई कलाकृति			
	(iii)	वाहन, नौका, नाव और वायुयान			
	(iv)	वित्तीय आस्ति			रकम (लागत) रु0 में
	(क)	बैंक (जिसके अधीन सभी जमा राशियां)			
	(ख)	शेयर और प्रतिभूतियां			

	(ग)	बीमा पॉलिसी		
	(घ)	ऋण और दिए गया अग्रिम धन		
	(ङ)	हाथ नकदी		
	ग	भागीदार या सदस्य के रूप में किसी फर्म या व्यक्तियों का संगम (एओपी) की आस्तियों में धारित ब्याज		
	क्रम सं०	फर्मों / एओपी का नाम और पता	फर्म / एओपी का स्थायी खाता संख्या	लागत के आधार पर फर्म / एओपी में निर्धारित का विनिवेश
	(1)	(2)	(3)	(4)
	(i)			
	(ii)			
घ	आस्तियों (क +ख +ग) के संबंध में दायित्व			
टिप्पण ► इस अनुसूची को भरने के लिए कृपया अनुदेशों को निर्दिष्ट करें।				

अनुसूचि जी.एस.टी		जी.एस.टी के लिए रिपोर्टित आवर्त/ सकल प्राप्तियों के संबंध में सूचना	
जी.एस.टी का ब्योरा	क्रम. सं.	जी.एस.टी आई एन संख्या	फाईल की गई जी.एस.टी विवरणी के अनुसार बाह्य पूर्ति का वार्षिक मूल्य
	(1)	(2)	(3)
टिप्पण		कृपया प्रत्येक जी.एस.टी.आई.एन सं. के लिए पृथक रूप से उपर सूचना प्रस्तुत करें।	

अनुसूची: ई.एस.ओ.पी पर कर स्थगन			कर स्थगन से संबंधित सूचना- कर स्थगन से संबंधित सूचना धारा 17(2)(vi) में संदर्भित नियोक्ता से प्राप्त आय में जोड़ा जाने वाला अनुलाभ, धारा 80-इकग में संदर्भित स्टार्ट-अप होने के नाते					
विवरण	क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	कर स्थगन की राशि आगे लायी गई	गत वर्ष के दौरान प्रासंगिक चालू निर्धारण वर्ष में से निम्नलिखित घटनाएं हुई हैं?			अगले निर्धारण वर्षों में कर स्थगन की शेष राशि स्तंभ (3-7)	
				ऐसे निर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वेट इक्विटी शेयर बेचे गए (i)पूर्णतया (ii)आंशिक (iii)नहीं बेचे गए स्तंभ 3के ऐसे बिक्री का कर गुण का तारीख व राशि का वर्णन करें (उपयोगिता के अनुसार प्रदत्त विवरण)	नियोक्ता के कर्मों होने से वंचित जिसने ऐसे विनिर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वेट इक्विटी शेयर को आर्बिट्रित या हस्तांतरित किया ? o हां o नहीं यदि हां, तारीख बताएं	उक्त खंड में संदर्भित विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेट इक्विटी शेयर उस प्रासंगिक निर्धारण वर्ष जिसमें शेयर आर्बिट्रित किए गए उसके अंत से अड़तालीस माह बीत चुके हैं, यदि हां, तारीख बताएं		
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	2021-22	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8					
	2	2022-23	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8			(निर्धारण वर्ष 2026-27में सक्षम) (भुगतान वित्त वर्ष 2025-26में देय)		
	3	2023-24	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8					
	4	2024-25						
	5	2025-26						

भाग-ख

भाग ख-कुल आय		कुल आय की संगणना	
कुल आय	1	वेतन (अनुसूची 6 का)	1
	2	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची-गृहसंपत्ति का 3) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	2
	3	कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ	
	i	सट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची-का.वृ.का.क37)	3i
	ii	सट्टे के कारबार से लाभ और अभिलाभ [अनुसूची बीपी की तालिका ड के 3 (ii)] (यदि हानि है तो शून्य लिखें और अनुसूची गचठ से अंक लें)	3ii
	iii	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ और अभिलाभ [अनुसूची बीपी की तालिका ड के 3 (iii)] (यदि हानि है तो शून्य लिखें)	3iii
	iv	विशेष दरों पर कर प्रभार्य आय (अनुसूचि ख.त. के 3ड, 3च और 3छ)	3iv
	V	योग (3i + 3ii + 3iii + 3iv) (यदि 3v हानि है तो शून्य लिखें)	3v
	4	पूंजीअभिलाभ	
	क	अल्पकालिक	
	i	अल्पकालिक प्रभार्य @ 15% (अनुसूची सीजी की मद ड का 11ii)	क i
	ख	अल्पकालिक प्रभार्य @ 20% (अनुसूची सीजी की मद ड का 11iii)	क ख
	ii	अल्पकालिक प्रभार्य @ 30% (अनुसूची सीजी की मद ड का 11iv)	क ii
	iii	लागू दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी की मद ड का 11v)	क iii
	iv	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूचि सीजी के मद ड का 11vi)	क iv
	v	अल्पकालिक योग (क + क ख + क ii + क iii + क iv) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)	4क v
	ख	दीर्घकालिक	
	i	दीर्घकालिक प्रभार्य @ 10% (अनुसूची सीजी की मद ड का 11vii)	ख i
	ख	दीर्घकालिक प्रभार्य @ 12.5% (अनुसूची सीजी की मद ड का 11viii)	ख ख
	ii	दीर्घकालिक प्रभार्य @ 20% (अनुसूची सीजी की मद ड का 11ix)	ख ii
	iii	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ड का 11x)	ख iii
	iv	दीर्घकालिक योग (ख + ख ख + ख ii + ख iii) (यदि हानि है तो शून्य भरे)	4ख iv
	ग	अल्पकालिक/दीर्घकालिक पूंजीगत अभिलाभ की राशि (4क v + 4ख iv) (यदि हानि तो शून्य दर्ज करें)	4ग
	घ	धारा 115खख के अधीन 30% की दर से प्रभार्य पूंजीगत अभिलाभ (अनुसूची सी.जी का ग 2)	4घ
	ड	कुल पूंजीगत अभिलाभ (4ख + 4घ)	4ड
	5	अन्य स्रोतों से आय	
	क	अन्य स्रोतों से शुद्ध आय सामान्य लागू दरों पर कर प्रभार्य (अनुसूची ग घ का 6 शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)	5 क
	ख	विशेष दर पर कर को प्रभार्य आय (अनुसूची गध का 2)	5 ख
	ग	घुडदोड के स्वामित्व और अनुरक्षण के क्रियाकलाप से आय (अनुसूची गध का 8ड) (यदि हानि है तो शून्य भरे)	5 ग
	घ	कुल (5 क + 5 ख + 5 ग) (यदि हानि है तो शून्य भरे)	5 घ
	6	शीर्ष क्रय के अनुसार आय का कुल (1 + 2 + 3v + 4ड + 5 घ)	6
	7	6 के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली चालू वर्ष की हानियां (अनुसूची गमठक चालू वर्ष की हानि के 2xvii, 3xvii और 4xvii कायोग)	7
	8	चालू वर्ष की हानियों के मुजरा के पश्चात बकाया (6 - 7) (अनुसूची सीवाईएलएके स्तंभ 5 के क्रम संख्या (ii) से (xv) का योग + 5ख + 3iv)	8
	9	8 के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली अग्रनीत हानियां (अनुसूची खचठक के 2xvi, 3xvi और 4xvi का योग)	9

10	सकल कुल आय(8-9) (और अनुसूची बीएफएलए के स्तंभ 5 के क्रम संख्या (i) से (xiv) का योग+ 5ख + 3iv)	10	
11	धारा 111क, धारा 112, धारा 112क के अधीन विशेष दर पर कर प्रभार्य में 10 सम्मिलित है	11	
12	अध्याय 6क के अधीन कटौतियाँ		
क	अनुसूची 6क का भाग ख,गक और घ [अनुसूची 6कका (1+3) और (बीएफएलए का i5 + ii5 + iii5 + iv5 + v5 + viii5 + xi5 + xii5)तक सीमित]	12क	
ख	अनुसूची 6क का भाग ग [अनुसूची 6क का 2 और बीएफएलए का iii5 तक सीमित]	12ख	
ग	कुल(12क + 12ख)(10-11) तक सीमित)	12ग	
13	धारा 10 कक के अधीन कटौतियाँ (अनुसूची 10 कक का ग)	13	
14	कुल आय (10 -12ग -13)	14	
15	आय जो 14 में सम्मिलित है और विशेष दर पर कर प्रभार्य है (अनुसूची विशेष दर के (i) का योग)	15	
16	दर प्रयोजन के लिए शुद्ध कृषि आय/ कोई अन्य आय (अनुसूची ईआई का 3)	16	
17	कुल आय (14-15+16)(लागू होगा यदि(14-15)अधिकतम रकम, जो कर प्रभार्य नहीं है)	17	
18	अग्रणीत की जाने वाली चालू वर्ष की हानियाँ(अनुसूची गचठ की पंक्ति xvi का योग)	18	
19	धारा 115जग के अधीन समझी गई आय (अनुसूची एएमटी का 3)	19	

भाग ख-कुल आय पर कर दायित्व			कुल आय पर कर दायित्व की संगणना					
कर दायित्व की संगणना	1	क	धारा 115 जग के अधीन समझी गई कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची का अनुकल्पित कर का 4)			1क		
		ख	(क) पर अधिभार (यदि लागू है)			1 ख		
		ग	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर (1क +1ख) 3 पर			1 ग		
		घ	समझी गई कुल आय पर संदेय कुल कर(ह)उ पर(1क +1ख +1 ग)			1 घ		
	2	कुल आय पर संदेय कर						
		क	भाग ख-टी आई कुल आय के 17 पर सामान्य दरों पर कर	2क				
		ख	विशेष दरों पर कर(अनुसूची दझ का (ii) का योग)	2ख				
		ग	कृषि आय पर रिबेट (लागू होगा यदि (भाग ख-टी आई कुल आय का(14-15)अधिकतम रकम अधिक नहीं है जिस पर प्रभार्य नहीं है)	2ग				
		घ	कुल आय पर संदेय कर(2क + 2ख- 2ग)			2घ		
		ड	धारा 87क के अधीन रिबेट			2ड		
		च	रिबेट के पश्चात संदेय कर (2घ - 2 ड)			2च		
		छ	अधिभार	उपांतिक राहत से पूर्व परिकल्पित अधिभार	उपांतिक राहत के बाद अधिभार	2छ		
		i	अनुसूची धझ के 17(ii) का @25 प्रतिशत	2छi	iक			
	ii	10% या 15% पर लागू(निर्देश संदर्भ)	2छ ii	iiक				
	iii	अनुसूची एस.आई का 2च- 17(ii) उपर्युक्त 2छ(ii) में संदर्भित आय पर कर)	2छ iii					

			iv कुल (i क + ii क)	2 छiv	
	ज	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर (2 च + 2 छiii)		2 ज	
	झ	कुल कर दायित्व (2 च + 2 छiv + 2 ज)		2 झ	
	3	कुल कर संदेय (1 घ और 2i से उच्चतर)		3	
	3क	धारा 17(2)(vi) में संदर्भित 80 आईएसी(3-3ख) अनुसूची वेतन में संदर्भित स्टार्ट-अप पात्र होने के नाते नियोक्ता से प्राप्त अभिलाभ से आय को शामिल किए बिना आय पर कर		3क	
	3ख	धारा 80 आईएसी में संदर्भित स्टार्ट-अप पात्र होने के नाते धारा 17(2) (vi) में संदर्भित नियोक्ता से प्राप्त अभिलाभ पर आय से संबंधित आस्थगित कर		3ख	
	4	पूर्वतर वर्ष में कर संदत्त की धारा 115 जघ के अधीन जमा (लागू यदि 2i घ से अधिक है) (अनुसूची एएमटीसी का 5)		4	
	5	धारा 115 जघ के अधीन मुजरा के बाद कर संदेय (3क - 4)		5	
	6	कर राहत			
	क	धारा 89 (कृपया इस राहत का दावा करने के लिए फॉर्म 10ड जमा करना सुनिश्चित करें)	6क		
	ख	धारा 90 या धारा 90क (अनुसूची टीआर का 2)	6ख		
	ग	धारा 91 (अनुसूची टीआर का 3)	6ग		
	घ	कुल (6क + 6ख + 6ग)		6घ	
	7	शुद्ध कर दायित्व (5 - 6 घ) (शून्य भरे यदि नकारात्मक है)		7	
	8	ब्याज और फीस देय			
	क	विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234क)	8क		
	ख	अग्रिम कर के संदाय के व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234ख)	8ख		
	ग	अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज (धारा 234ग)	8ग		
	घ	आय की विवरणी देने में अतिक्रम करने के लिए फीस (धारा 234च)	8घ		
	ड	कुल ब्याज और फीस देय (8क + 8ख + 8ग + 8घ)		8ड	
	9	औसत दायित्व (7 + 8ड)		9	
संदत्त कर	10	संदत्त कर			
	क	अग्रिम कर (17 क के स्तंभ 5 से)	10क		
	ख	स्रोत पर कर की कटौती (18ख के स्तंभ 5 और 17 ग के स्तंभ 9 का कुल)	10ख		
	ग	टी.सी.एस (17घ का स्तंभ 7(i))	10ग		
	घ	स्वतः निर्धारण कर (17क स्तंभ 5 से)	10घ		
	ड	संदत्त कुल कर (10क + 10ख + 10ग + 10घ)		10ड	

11	संदेय रकम (यदि 10डू से अधिक है तो 9 प्रविष्ट करें, अन्यथा शून्य प्रविष्ट करें)	11					
12	प्रतिदाय (यदि 10डू 9 से अधिक है) (प्रतिदाय यदि कोई है, तो सीधे बैंक खाते में जोड़ दिया जायेगा)	12					
13	क्या भारत में आपका बैंक खाता है (जिसका भारत में बैंक खाता नहीं है नहीं का चयन कर सकते हैं)	हां या नहीं का चयन करें					
i. क) पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में रखे गए सभी बैंक खातों का ब्यौरा (निष्क्रिय खातों के अतिरिक्त)							
बैंक खाता	क्रमसं.	भारत में धारित बैंक खाते की दशा में बैंक का आई.एफ.एस कोड	बैंककानाम	खातासं.	खाता का प्रकार (ई फाईलिंग द्वारा उपबंधित ड्रापडाउन)	प्रत्यय वापसी के लिए खाता चयन करें	
	i						
	ii						
	नोट: 1. सभी बैंक खाते, सिवाय निष्क्रिय खाता के, किसी भी समय रखे गए सभी बैंक खातों की सूचना दी जानी चाहिए। 2. बहुविध खातों का चयन करने के मामले में, प्रतिदाय विवरणी का संसाधन के पश्चात् विधिमान्य खातों में से एक खाते में क्रेडिट किया जाएगा।						
	आवश्यकतानुसार पंक्तियां जोड़ी जा सकती है						
	ii. ख) गैर-निवासी, उनका भारत में बैंक खाता नहीं है, विकल्प में एक विदेशी बैंक खाते का ब्यौरा दे सकते हैं						
	क्रम सं.	स्विफ्ट कोड	बैंक का नाम	स्थान का देश	आईबीएएन		
	1.						
	14	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय (i) भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां (जिसके अधीन किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है) को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं। (ii) भारत के बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या (iii) भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है? (निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची चक को भरना सुनिश्चित करें)				□हां□नहीं	
	15	यदि विवरणीकर विवरणी तैयारकर्ता द्वारा तैयार की गई है तो निम्नानुसार और ब्यौरा दें:					
कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान सं.			कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम		कर विवरणी तैयारकर्ता के प्रतिहस्ताक्षर		
यदि कर विवरणी तैयारकर्ता सरकार से किसी प्रतिपूर्ति का हकदार है तो उसकी रकम					16		
17	अनुसूची-आयकर						
क	आय-करकेअग्रिमकर और स्वनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे						
कर संदाय	क्रम सं.	बीएसआर कोड	निक्षेप की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)	चालान का क्रम सं.	रकम(रू.)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
	i						
	ii						
	iii						
	iv						

			टिप्पण ▶		भाग ख-टीटी आई की क्रम सं. 10क और 10घ में अग्रिम करऔर स्वनिर्धारण कर का योग लिखें।											
	ख	वेतन से स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे [नियोजक (नियोजकों)द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16 के अनुसार]														
	वेतन सेस्रोत पर कर कटौती	क्रम सं.	नियोजक का कर कटौती खाता संख्या(टैन)							नियोजक का नाम			वेतन के अधीन प्रभार्य आय		कटौती किया गया कुल कर	
		(1)	(2)							(3)			(4)		(5)	
		i														
			<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>													
	ii															
टिप्पण ▶		कृपया भाग ख-टीटीआई के भाग 10ख में स्तम्भ 5 का योग प्रविष्ट करें।														

ग स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता(कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी प्ररूप (टी.डी.एस) प्ररूप 16 कया प्ररूप 16ख/16ग/16घ/ 16ङ के अनुसार]													
क्रम सं.	स्वयं/अन्य व्यक्ति के संबंध में प्रत्यय टी.डी.एस.(धारा 5 क के अनुसार पति का पत्नी/नियम 37 ख क (2) के अनुसार अन्य व्यक्ति	अन्य व्यक्ति का पैन/आधार संख्या(यदि टी.डी.एस प्रत्यय अन्य व्यक्ति से संबंधित है)	वह धारा जिसके अधीन टीडीएस की कटौती जाती है	कटौतीकर्ता का टैन/किरारदार या क्रेता का पैन/आधार संख्या	आगे लाया गया अदावकृत टी.डी.एस	मौजूदा वित्त वर्ष का टी.डी.एस (वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान टी.डी.एस कटौती)	इस वर्ष जमा टी.डी.एस का दावा (केवल तभी जब समान आय इसी वर्ष कर से लिए प्रस्तावित, लागू नहीं, यदि टीडीएस धारा 194ड के अधीन काटा गया।	प्रस्तावित समान रसीद/आहरण	टी.डी.एस प्रत्यय अग्रणीत किया जा रहा				
					वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की गई	आगे लाया गया टी.डी.एस	स्वयं द्वारा कटौती	धारा 5 क के अनुसार पति/पत्नी या नियम 37ख क (2) के अनुसार कोई अन्य व्यक्ति के हाथों कटौती (यदि लागू हो)	स्वयं के हाथों दावा धारा 5 क के अनुसार पति/पत्नी या नियम 37 ख क (2) के अनुसार कोई अन्य व्यक्ति के हाथों दावा (यदि लागू हो)	सकल आय का शीर्ष			
(1)	(2)	(3)	(4क)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
								आ टी.डी.एस	आ टी.डी.एस	पैन/आधार संख्या			
i													
टिप्पण► कृपया स्तंभ 9 का कुल भाग - ख -टी टी आई के 10 ख में प्रविष्ट करें।													
टिप्पण ►		कृपया भाग ख-टीटीआई के भाग 10ख में स्तम्भ 5 का योग प्रविष्ट करें।											

	घ	स्रोत पर संग्रहीत कर के ब्यौरे (संग्राहकों द्वारा जारी प्ररूप 27घ के अनुसार)										
		क्र.सं.	स्वयं/अन्य व्यक्ति सं संबंधित	संग्राहक का कर कटौती	अन्य व्यक्ति का पैन(यदि)	अग्रणीत किया गया अदावकृत टी.सी.एस	चालू वित्तीय वर्ष का टी.सी.एस	इस वर्ष में दावा किया गया जमा टी.सी.एस	टी.सी.एस जमा आगे लाया गया			

				जमा टी.सी.एस [धारा 5क के अनुसार पति/ पत्नी धारा 37I(1) के अनुसार अन्य व्यक्ति]	और कर संग्रहण खाता संख्यांक)	टी.सी.एस जमा अन्य व्यक्ति से संबंधित	वित्तीय वर्ष जिस में संग्रहण किया गया	रकम बी/एफ	स्वयं संग्रहित किया	धारा 5क के अनुसार पति/पत्नी द्वारा संग्रहित अथवा नियम 37i(1) के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा(यदि लागू हो)	स्वयं दावा किया गया	धारा 5क के अनुसार पति/पत्नी द्वारा दावा किया गया अथवा नियम 37i(1) के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा (यदि लागू हो)	
			(1)	(2i)	(2ii)	(3)	(4)	(5)	(6i)	(6ii)	(7i)	(7ii)	(8)
			i									टी.सी.एस	पैन
			ii										
टिप्पण ▶ कृपया भाग ख-टी.टी.आई के 10ग में स्तम्भ (7) का योग प्रविष्ट करें ।													

सत्यापन	
मैं.....पुत्र / पुत्री..... सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं / करती हूं कि इस विवरणी में और उसकी अनुसूची में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सही और पूर्ण हैं और यह आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है । मैं यह और घोषणा करता / करती हूं कि मैं..... (डाउन डाउन उपबंधित किया गया है) की हैसियत से ये विवरणियां भर रहा हूं / रही हूं और मैं इस विवरणी को भरने और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूं। मैं स्थायी खाता संख्या.....का धारक हूं (यदि आबंटित किया गया हो) (कृपया अनुदेश देखें) मैं यह और घोषणा करता हूं कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हों)	
तारीख	हस्ताक्षर “:।

[फा0सं0 370142/14/2025-टीपीएल]

सुरवेन्दु ठाकुर, अवर सचिव, कर नीति और विधान

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) अधिसूचना संख्या का0आ0 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा0कानि0 271(अ), तारीख 29 अप्रैल, 2025 द्वारा किया गया ।

स्पष्टीकारक ज्ञापन : यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी रूप देने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।